अध्याय-1

संगठन

1.1 संरचना

1.1.1 पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय का एक विभाग है और यह कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों अर्थात् पशुपालन और डेयरी विकास को मिला करके 1 फरवरी,1991 को अस्तित्व में आया था। कृषि और सहकारिता विभाग का मात्स्यिकी प्रभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा 10 अक्तूबर, 1997 से पशुपालन और डेयरी विभाग में अंतरित कर दिया गया था।

1.1.2 विभाग, श्री शरद पवार, माननीय कृषि मंत्री के सम्पूर्ण प्रभार में है। उनकी सहायता श्री कांतिलाल भूरिया, कृषि राज्य मंत्री करते हैं। विभाग के प्रशासनिक प्रमुख सचिव, पशुपालन एवं डेयरी है। श्री पी0एम0ए0 हकीम ने 12 जुलाई, 2004 को सचिव (पशुपालन एवं डेयरी) का कार्यभार संभाला।

1.1.3 विभाग के सचिव के प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में एक पशुपालन आयुक्त, चार संयुक्त सचिव तथा एक सलाहकार (सांख्यिकी) उनकी सहायता करते हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट तथा प्रभाग प्रमुखों के बीच कार्य आबंटन अनुबंध - 1 में दिया गया है।

1.2 कार्य

1.2.1 यह विभाग पशुधन उत्पादन, इसके संरक्षण, परिरक्षण तथा स्टॉक में सुधार करने और डेयरी विकास से संबंधित कार्यों और दिल्ली दुग्ध योजना तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। यह विभाग मछली पकड़ने और मत्स्यन पालन, अंतर्देशीय तथा समुद्री मामलों से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

❑ 1. फरवरी, 1991 में विभाग अस्तित्व में आया था और अक्टूबर, 1997 में मात्स्यिकी को विभाग में अंतरित कर दिया गया था।

❑ 2. इन गतिविधियों पर मुख्यतः ध्यान दिया जा रहा है:- (क.) पशु उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों में अपेक्षित आधारभूत संरचना का विकास (ख.) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का परिरक्षण और संरक्षण (ग.) राज्यों को वितरित करने के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केन्द्रीय पशुधन फार्मों का सुदृढ़ीकरण (घ.) ताजे, खारे पानी में मछली पालन का विस्तार तथा मछुआरों का कल्याण् आदि।

❑ 3. विभाग में 36 फील्ड कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय हैं।

1.2.2 यह विभाग पशुपालन और डेयरी विकास तथा मत्स्यन पालन के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सलाह देता है। यह मुख्यतया इन गतिविधियों पर ध्यान देता है (क) पशु उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों में अपेक्षित आधारभूत संरचना का विकास (ख) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का परिरक्षण और संरक्षण (ग) राज्यों को वितरित करने के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केन्द्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और कुक्कुट) का सुदृढ़ीकरण (घ) ताजे, खारे पानी में मछली पालन का विस्तार तथा मछुआरों का कल्याण आदि।

1.2.3 इस विभाग को आबंटित विषयों की अनुसूची अनुबंध-II में दी गई है।

1.3 अधीनस्थ कार्यालय

1.3.1 यह विभाग पूरे देश में फैले 36 फील्ड कार्यालयों/ अधीनस्थ कार्यालयों, जो पशुपालन एवं मात्स्यिकी की विभिन्न विधाओं को देखते हैं, का प्रशासन भी देखता है। इन कार्यालयों का श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

i)	केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन	12
ii)	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	5
iii)	केन्द्रीय भेड़ विकास संगठन	1
iv)	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	8
v)	पशु संगरोध प्रमाणीकरण केन्द्र	4
vi)	दिल्ली दुग्ध योजना	1
vii)	केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर	1
viii)	केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन	1
ix)	समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन	1
x)	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई	1
xi)	जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई	1
	कुल	36

1.3.2 उक्त अधीनस्थ कार्यालयों की सूची अनुबंध-3 में दी गयी है।

1.4 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन0डी0डी0बी0)

1.4.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक प्रमुख संस्थान है और यह आणंद, गुजरात में स्थित है। इस बोर्ड की स्थापना सहकारिता की तर्ज पर डेयरी विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से सन् 1965 में की गई थी। डा0 (सुश्री) अमृता पटेल 26 नवम्बर, 1998 से बोर्ड की अध्यक्ष हैं।

1.5 सलाहकार बोर्ड

1.5.1 पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्रों की विभिन्न विधाओं में गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से

विभाग को सलाह देने के लिए 6 परामर्शदात्री समितियां/परिषद/बोर्ड गठित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(1) गोसंवर्धन परामर्श बोर्ड
(2) केन्द्रीय भेड़, बकरी और खरगोश विकास सलाहकार समिति
(3) अश्व विकास बोर्ड
(4) केन्द्रीय कुक्कुट विकास सलाहकार परिषद
(5) दुग्ध और दुग्ध उत्पाद सलाहकार बोर्ड
(6) केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड

1.6 जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई

1.6.1 उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य झींगा पालन क्रियाकलापों को विनियमित करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि ये क्रियाकलाप पर्यावरण अनुकूल और सतत तरीके से किए जाएं। यह चैन्नई में स्थित है तथा इस समय न्यायमूर्ति जी0 रामानुजम इसके अध्यक्ष हैं।

1.7 कर्मचारी शिकायत कक्ष

1.7.1 शिकायतों को देखने के लिए इस विभाग में एक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है। इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। विभाग के स्टाफ तथा जनता दोनों की शिकायत संबंधी मामलों की जांच करने के लिए निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित किया गया है।

1.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पर्क अधिकारी

1.8.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए भी इस विभाग में उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अधीनस्थ कार्यालयों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

1.9 सतर्कता एकक

1.9.1 इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करने के लिए इस विभाग में एक सतर्कता एकक काम कर रहा है। एक संयुक्त सचिव को विभाग के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

1.10 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.10.1 वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग ने ठोस प्रयास किए। विभाग का हिन्दी अनुभाग वार्षिक रिपोर्ट, निष्पादन बजट, संसद प्रश्न, संसदीय स्थायी समिति तथा कैबिनेट नोट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद का काम करने तथा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के काम में सक्रिय रूप से लगा रहा।

1.10.2 इस विभाग में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। निर्धारित नियमों के अनुसार इस समिति की इस वर्ष चार बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में विभाग में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा की गई और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए।

1.10.3 सितम्बर, 1-15, 2004 के दौरान विभाग में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया था। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं तथा सफल अभ्यर्थियों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया था।

1.11 प्रबंध सूचना प्रणाली

1.11.1 विभाग ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना केंद्र के परियोजना निदेशालय

के साथ मिलकर निर्णय समर्थन के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) एप्लीकेशनों का प्रयोग करते हुए 2003-04 के दौरान ई-गर्वेन्स शुरू करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। विभाग के आन्तरिक उपयोग के लिए एक इंटरनेट http://intadahd.nic.in विकसित किया गया है।

1.11.2 पशु रोग निगरानी सूचना पद्धति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, विभाग के केन्द्रीय परियोजना निगरानी एकक नामक राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना के साथ-साथ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के निदेशालयों में आईसीटी ने मूलभूत सुविधाओं की स्थापना की है। पशुप्लेग उन्मूलन पद्धति का विकास किया गया है तथा इसे 35 राज्यों में क्रियान्वित किया गया। आरईआईएस का उपयोग करने के लिए राज्य पशुपालन निदेशालक के लगभग 70 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए चंडीगढ़, लखनऊ तथा गोवा में तीन राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

अध्याय 2

नीति तथा दृष्टिकोण

2.1 दृष्टिकोण तथा बलित क्षेत्र

2.1.1 पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तथा देश के आर्थिक, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र परिवार की आय की प्रतिपूर्ति करने और करोड़ों लोगों को सस्ता पौष्टिक आहार मुहैया कराने के अतिरिक्त विशेषरूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों और कृषक महिलाओं के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार सृजन में भी काफी योगदान देते हैं।

2.2 राष्ट्रीय कृषि नीति

2.2.1 राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिश्त प्रतिवर्ष से अधिक की विकास दर को हासिल करना, खाद्य और पौषणिक सुरक्षा के महत्व तथा धन और रोजगार के सृजन में पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्रों के महत्व पर जोर देना है। यद्यपि फसल उत्पादन में मौजूदा विकास दर लगभग 2 प्रतिशत है किन्तु पशुपालन क्षेत्र में 6-8 प्रतिशत की अधिकतम विकास दर, कृषि क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर 4 प्रतिशत की लक्षित विकास दर को प्राप्त करने में मदद करेगा। इस नीति में भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देने, निर्यात योग्य अधिशेषों का सृजन करने का प्रस्ताव किया गया है। जैसा कि नीति अभिलेख में दर्शाया गया है, स्वास्थ्य देखरेख, चारा उत्पादन और पशु रोग से मुक्ति प्रमुखता वाले कुछ अन्य क्षेत्र हैं।

2.2.2 मात्स्यिकी पर, सतत जलकृषि पद्धतियों को उन्नत बनाने के लिए तैयार किए गए समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी के एकीकृत दृष्टिकोण की व्यवस्था की गई है। आनुवांशिक और प्रजनन, रोग प्रतिरोधी और रोग नियंत्रण में बायो प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोगों के क्षेत्र अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। नीति में दर्शाया गया है कि देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संसाधनों की व्यापक क्षमता का लाभ उठाने के लिए गहरे समुद्र में मत्स्यन को विकसित किया जाएगा।

2.3 दसवीं योजना के लिए दृष्टिकोण

2.3.1 दसवीं योजना की समूची नीति के अनुसरण मे विभाग की नीतियों और गतिविधियों का मुख्य बल गोपशु और भैंसों के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन, रोग मुक्त क्षेत्रों के सृजन सहित स्वास्थ्य कवर के प्रावधान, पोषक आहार और चारे के प्रावधान, समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी के प्रति समेकित दृष्टिकोण, गहरे समुद्र में मात्स्यिकी विकास, आदि पर केन्द्रित था।

2.3.2 अतः दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य बल निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर है:-

- गोपशु और भैंसों का तीव्र आनुवंशिक उन्नयन तथा किसानों को प्रजनन आदानों तथा सेवाओं की डिलीवरी व्यवस्था में सुधार।
- गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में साफ दुग्ध उत्पादन सहित डेयरी विकास गतिविधियों का विस्तार।
- पशु पोषण में सुधार लाने के लिए चारा फसल और चारा पेड़ों का संवर्धन।
- रोग मुक्त क्षेत्रों के सृजन और खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण पर विशेष बल सहित पर्याप्त पशु स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान।

- जुगाली करने वाले छोटे पशुओं तथा भारवाही पशुओं का सुधार।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वैकयार्ड कुक्कुट का विकास।
- व्यवहार्य गतिविधियों के लिए किसानों को साख सुविधा।
- विश्वसनीय डेटाबेस तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास।
- सतत जलकृषि प्रणालियों के संवर्धन के लिए तैयार किए गए समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी के समेकित दृष्टिकोण को अपनाना।
- मत्स्य बीज के उत्पादन, मात्स्यिकी यानों के लिए बर्थिंग और लैंडिंग सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण।
- अंतर्देशीय मात्स्यिकी का विकास।
- देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की विशाल क्षमता का लाभ उठाने के लिए गहरे समुद्र में मात्स्यिकी उद्योग का विकास।

2.4 रणनीति

2.4.1 तद्नुसार वर्ष के दौरान पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्रों के विकास के लिए अपनाई गई रणनीति तथा उद्देश्य का सार निम्नानुसार है:-

(1) कृत्रिम गर्भाधान के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण, वर्ण संकर प्रयोजनों के लिए हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसकी कार्यकुशलता और प्रभावकारिता में सुधार लाना।

(2) बेहतर गुणवंत्ता वाले मादा गोपशुओं और सांडों का एक बीज भंडार सृजित करना जो उच्च उत्पादकता वाले गोपशुओं और भैंसों का एक राष्ट्रीय दुधारू पशुयूथ तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय जर्मप्लाज्म पूल बन सकेगा।

(3) चुनिन्दा प्रजनन द्वारा महत्वपूर्ण पशुधन नस्लों का आनुवांशिक सुधार तथा दूध एवं भारवाही दोनों प्रयोजनों के लिए कम उत्पादक गैर प्रजातीय पशुओं का वर्ण संकर महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों को संरक्षित किया जाएगा।

(4) उन्नत चारा बीजों को शरू करके तथा चारा खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करके चारे की उत्पादकता तथा पोषक गुणवत्ता में सुधार।

(5) पशुधन के संरक्षण के लिए खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण पर विशेष बल देते हुए पर्याप्त पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना।

(6) पशुधन उत्पादों के संबंध में डाटा बेस का सुधार।

(7) पशुधन उत्पादकता बढ़ाने तथा विपणन के विकास के लिए प्रौद्योगिकीय खोजों के उपयोग को बढ़ाना।

मुख्य बलित क्षेत्र

- पशुरोग नियंत्रण
- पशुनस्ल सुधार और विकास
- चारा विकास
- डेयरी और कुक्कुट विकास
- मात्स्यिकी विकास

रणनीति

- बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
- बेहतर सांड़ों और सांड़ माताओं के बीज स्टॉक का सृजन
- पर्याप्त पशु स्वास्थ्य सेवाएं
- आनुवंशिक सुधार और स्वदेशी नस्लों के संरक्षण को सुविधाजनक बनाना
- उन्नत चारा बीजों के माध्यम से पास्चर भूमि की उत्पादकता सुधारना
- मौजूदा यानों की मछली पकड़ने की क्षमता को बढ़ाना और इंटरमीडिएट मात्स्यिकी यान शुरू करने
- मछुआरों के लिए कल्याण कार्यक्रम

(8) मौजूदा नौकाओं की मछली पकड़ने की क्षमता में वृद्धि करना और 70-150 मीटर की गहराई में मछली पकड़ने की क्षमता वाले मध्यम रेंज के मत्स्यन पोत की शुरूआत।

(9) अधिकतम, मछली उत्पादन के लिए बड़े, मध्यम और छोटे जलाशयों तथा फ्लड प्लेन झीलों का विकास करना।

(10) मछली पालन के विभिन्न तकनीकी पैकेजों पर मछली पालकों को सहायता प्रदान करके मछली पालक विकास एजेंसियों द्वारा तालाब में मछली पालन का विकास करना।

(11) छोटे पैमाने पर प्रॉन हैचरियों की स्थापना सहित ताजे जल में प्रॉन पालन को लोकप्रिय बनाना।

(12) तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल मछली पालन की पद्धतियों का विकास करना।

(13) पहाड़ी क्षेत्रों में खाने और खेलने दोनों के लिए मात्स्यिकी और मछली पालन का विकास करना।

(14) मात्स्यिकी और मछली पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए मुद्रित विस्तार सामग्री और विभिन्न विषयों पर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रकाशन।

(15) बीमा कवरेज, पारंपरिक बस्तियों का सुधार आदि के जरिए किसानों और मछली पालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम।

2.5 सरकार की पहलकदमी तथा राज्यों को सहायता

2.5.1 चूंकि पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी सहित कृषि का विषय राज्य का विषय है, अतः विभाग का बल इन क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करना है। विभाग पशु रोग नियंत्रण, वैज्ञानिक प्रावधान तथा आनुवंशिक संसाधनों का उन्नयन, पोषक आहार और चारे की उपलब्धता में वृद्धि करने, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं के सतत विकास तथा पशुधन और मात्स्यिकी उपक्रमों के उत्पादन और लाभ को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देता रहा है।

2.6 दसवीं योजना के लिए आबंटन

2.6.1 दसवीं योजना के लिए विभाग को 2500.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। दसवीं योजना के लिए विभाग का 18 योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है जिसमें 4 नई योजनाएं शामिल हैं अर्थात् खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कुक्कुट/डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष, साफ और गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण तथा डेटाबेस और सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण। विभाग का केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में मेक्रो-प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव है और तद्नुसार मैक्रो प्रबंधन दृष्टिकोण पर 5 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है ताकि समर्थन कार्यक्रमों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर गतिविधियां विकसित करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक लचीलापन दिया जा सके। तीन योजनाओं अर्थात् बूचड़खानों/पशु शव उपयोगिता केन्द्रों का आधुनिकीकरण, पशु स्वास्थ्य निदेशालय तथा दिल्ली दुग्ध योजना को सशर्त स्वीकृत किया गया है। तथापि, विभाग के अनुरोध पर योजना आयोग ने पशु स्वास्थ्य निदेशालय नामक योजना को 10वीं योजना में जारी रखने तथा दिल्ली दुग्ध योजना को दिल्ली सरकार को अंतरित करने अथवा इसको निगमीकरण का मामला तय हो जाने तक इसे भी जारी रखने पर अपनी सहमति दी। विभाग ने पशुधन गणना सबंधी योजना को 2002-03 से कृषि और सहकारिता विभाग से अंतरित होने पर हाथ में लिया था।

2.7 बजट प्राक्कलन और व्यय 2002-03 तथा 2003-04

2.7.1 विभाग को वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 300.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। इसकी

तुलना में वित्त मंत्रालय ने संशोधित प्राक्कलन 240.00 करोड़ रुपए पर तय किया था। विभाग ने 238.90 करोड़ रुपए का खर्च किया।

2.7.2 वार्षिक योजना 2003-04 के लिए विभाग को 300.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। इसकी तुलना में, वित्त मंत्रालय ने संशोधित प्राक्कलन 275.00 करोड़ रुपए तय किया था। विभाग ने 271.76 करोड़ रुपए खर्च किया।

2.8 बजट प्राक्कलन 2004-05

2.8.1 561.19 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की तुलना में, योजना आयोग ने 500.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया था। तथापि, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की भावना को पूरा करने के उद्देश्य से, विभाग ने नई योजनाएं प्रस्तावित की तथा अतिरिक्त आबंटन की मांग की। तदनुसार, योजना आयोग ने 100.00 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन प्रदान किया।

2.9 संशोधित प्राक्कलन 2004-05

2.9.1 500.00 करोड़ रुपए के बजट प्राक्कलन तथा 100.00 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन की तुलना में, वित्त मंत्रालय द्वारा 575.00 करोड़ रुपए का संशोधित प्राक्कलन निर्धारित किया गया था।

2.9.2 दसवीं योजना अवधि के लिए योजनावार वित्तीय आबंटन तथा व्यय (31 जनवरी, 2005 तक) को अनुबंध - 4 में दिया गया है।

2.10 राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के साथ तालमेल

2.10.1 विभाग विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है जो राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार हैं। तथापि, एनसीएमपी में दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी क्षेत्रों से संबंधित कुछ योजनाओं में संशोधन करके उन्हें पुनः तैयार करने अथवा पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता है। अतः विभाग ने "पशुधन बीमा" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना सहित अनेक योजनाएँ प्रस्तावित की थी। इस योजना को तैयार किया जा रहा है।

2.11 वार्षिक योजना 2005-06

2.11.1 वर्ष 2005-06 के लिए, विभाग ने 23 योजनाएँ क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया था जिसमें पशुधन बीमा संबंधी नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना भी शामिल है। विभाग ने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना अथवा आंतरिक बाहरी ऋणदात्री संसाधनों से कोई भी वित्त पोषण लिए बिना 1150.00 करोड़ रुपए का वार्षिक योजना प्रस्ताव 2005-06 तैयार किया है जिसकी तुलना में योजना आयोग ने 669.08 करोड़ रुपए आबंटित करने सहमति दी है। इनमें पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए 397.91 करोड़ रुपए, डेयरी विकास के लिए 92.00 करोड़ रुपए तथा मात्स्यिकी विकास के लिए 174.36 करोड़ रुपए है। 2005-06 से योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय चारा विकास संगठन तथा केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ समाप्त कर दी गई हैं। पशुपालन क्षेत्र में, पशुधन संगणना तथा एकीकृत नमूना, सर्वेक्षण नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में पुनः वर्गीकृत की गई हैं। "राष्ट्रीय कुक्कुट और छोटे पशु सुधार परियोजना" नामक एक नयी मैक्रो-योजना शुरू की गई है जिसमें "आहार और चारा उत्पादन संवर्धन कार्यक्रम", "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" और "विलुप्तप्राय नस्लों का संरक्षण" नामक मौजूदा घटक तथा "ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास", "जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का समेकित विकास" और "सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता" नामक नए घटक शामिल हैं। डेयरी क्षेत्र में, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना तथा गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन संबंधी अंतःसंरचना का सुदृढ़ीकरण नामक योजनाएँ

एकल योजना के रूप में एक साथ मिला दिया गया है। मात्स्यिकी क्षेत्र में, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण तथा मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार नामक योजनाएँ एकल योजना के रूप् में एक साथ मिला दी गई हैं। इसके अलावा, डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। बजट प्राक्कलन 2005-06 के लिए योजनावार वित्तीय आबंटन अनुबंध - 5 में दर्शाया गया है।

2.12 पशुधन संसाधन

2.12.1 भारत में पशुधन और कुक्कुट के विशाल संसाधन हैं जो ग्रामीण जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत विश्व में गोपशुओं तथा भैंसों के संबंध में प्रथम, बकरियों के संबंध में द्वितीय, भेड़ों के संबंध में तृतीय तथा कुक्कुट के संबंध में सातवें स्थान पर है। पशुधन का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध - 5 में दिया गया है।

2.13 रोजगार सृजन

2.13.1 पशुपालन क्षेत्र बड़े पैमाने पर स्व-रोजगार अवसर उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार (1999-2000), पशुपालन के क्षेत्र से रोजगार प्रमुख स्थिति में लगभग 11 मिलियन तथा सहायक स्थिति में लगभग 8 मिलियन था जो कुल कार्यरत जनसंख्या का 5% है।

- ❑ भारत विश्व में गोपशुओं तथा भैंसों के संबंध में प्रथम, बकरियों के संबंध में द्वितीय, भेड़ों के संबंध में तृतीय तथा कुक्कुट के संबंध में सातवें स्थान पर है।
- ❑ पशुधन क्षेत्र में लगभग 19 मिलियन लोग कार्यरत हैं।
- ❑ 2003-04 के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन तथा मात्स्यिकी क्षेत्र का अंशदान 6.29% था।

पशुधन संख्या

(मिलियन संख्या)

क्र.सं.	प्रजाति	पशुधन गणना 1992	1997	विकास दर (%) 1992 की तुलना में 1997 में	वार्षिक (संयोजित)
1	2	3	4	5	6
1	**गोपशु**	198.9	185.2	-6.89	-1.18
2	भैंस	89.9	97.9	8.91	1.43
3	याक	0.06	0.07	16.67	2.60
4	मिथुन	0.18	0.28	55.56	7.64
	कुल गोजातीय	**289.0**	**283.4**	**-1.95**	**-0.33**
5	भेड.	57.5	61.5	6.96	1.13
6	बकरी	122.7	124.4	1.38	0.23
7	सूअर	13.3	13.5	1.58	0.26
8	अन्य पशु	2.8	2.2	-22.18	-4.09
	कुल पशुधन	**485.4**	**485.0**	**-0.08**	**-0.01**
9	कुक्कुट	347.1	489.0	40.88	5.88

स्रोतः - पशुधन गणना, पशुपालन एवं डेयरी विकास, कृषि मंत्रालय

2.14 उत्पादन मूल्य

2.14.1 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्रों से उत्पादन मूल्य 2002-03 के दौरान लगभग 186,094 करोड़ रुपए था (पशुधन क्षेत्र के लिए 156,080 करोड़ रुपए तथा मात्स्यिकी के लिए 30,014 करोड़ रुपए) जो कृषि और सहायक क्षेत्र से 622,065 करोड़ रुपए के उत्पादन मूल्य का लगभग 29.9 प्रतिशत है। 2002-03 के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद में इन क्षेत्रों का अंशदान 6.5 प्रतिशत था।

2.15 अन्य योगदान

2.15.1 पशुधन क्षेत्र दूध, अंडा, मीट आदि के माध्यम से पोषक मानवीय आहार के लिए न केवल आवश्यक प्रोटीन उपलब्ध कराता है बल्कि गैर खाद्य कृषि उपोत्पादों के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पशुधन क्षेत्र चमड़ा तथा खाल, रक्त, हड्डी, वसा तथा खाल जैसी कच्ची सामग्री/उतोत्पाद भी उपलब्ध कराता है। वर्ष 2002-03 में अकेले दूध का योगदान (107,544 करोड़ रु0), धान (60,300 करोड़ रु0), गेहूँ (40,874 करोड़ रु0) तथा गन्ना (27,675 करोड़ रु0) से अधिक था। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार, 2002-03 में वर्तमान मूल्यों पर मीट से उत्पादन का मूल्य 24,876 करोड़ रु0 था।

2.16 निर्यात से आय

2.16.1 पशुधन, कुक्कुट तथा संबंधित उत्पादों के कुल निर्यात से 2003-04 में 4,229 करोड़ रुपए की आय हुई। कुल निर्यातों में से चमड़ा क्षेत्र से 2,568 करोड़ रुपए की आय हुई।

2.17 दुग्ध उत्पादन

2.17.1 2003-04 के दौरान भारत के दुग्ध उत्पादन का अनुमान 88.10 मिलियन टन आंका गया था और 2004-05 में इसके 91.00 मिलियन टन के स्तर तक पंहुच जाने की उम्मीद है। इस प्रकार भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी 1996-97 में 202 ग्राम प्रति दिन से बढ़कर 2003-04 में 202 ग्राम प्रतिदिन तक हो गई है।

2.18 अंडा उत्पादन

2.18.1 देश में कुक्कुट विकास में पिछले वर्षों में निरन्तर प्रगति हुई है जिसका मूल कारण - सरकार की अनुसंधान तथा विकासात्मक योजनाएँ एवं संगठित निजी क्षेत्र द्वारा प्रभावकारी प्रबंधन और विपणन था। 2003-04 में देश में अंडा उत्पादन 40.40 बिलियन था तथा 2004-05 के दौरान इसमें 41.08 बिलियन तक की वृद्धि होने की संभावना हे। इस समय, भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में पाँचवा स्थान है।

2.19 ऊन उत्पादन

2.19.1 नौवीं योजना (2001-02) के अंत में ऊन उत्पादन 1990-91 के दौरान 41.20 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में 49.5 मिलियन कि.ग्रा. था। 2003-04 के दौरान, ऊन उत्पादन 48.5 मिलियन कि.ग्रा. होना प्रत्याशित था तथा 2004-05 के दौरान इसमें 50.0 मिलियन कि.ग्रा. तक वृद्धि होने की संभावना है।

2.19.2 1950-51 से 2003-04 तक मुख्य पशुधन उत्पादों का उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध - 7 में दिया गया है।

2.20 मछली तथा मत्स्य बीज उत्पादन

2.20.1 भारत अब विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा विश्व में ताजा जल मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ष 2003-04 के दौरान, कुल मछली उत्पादन 63.99 लाख टन था। उसी वर्ष मत्स्य बीज उत्पादन 19,173 (अनन्तिम) मिलियन फ्राई था। आशा है कि 2004-05 के दौरान मत्स्य उत्पादन लगभग 65.10 लाख टन होगा।

(लाख टन में उत्पादन)

वर्ष	समुद्री	अंतर्देशीय	कुल
1991-92	24.47	17.10	41.57
1992-93	25.76	17.89	43.65
1993-94	26.49	19.95	46.44
1994-95	26.92	20.97	47.89
1995-96	27.07	22.42	49.49
1996-97	29.67	23.81	53.48
1997-98	29.50	24.38	53.88
1998-99	26.96	26.02	52.98
1999-2000	28.52	28.23	56.75
2000-2001	28.11	28.45	56.56
2001-2002	28.30	31.20	59.56
2002-2003	29.90	32.10	62.00
2003-2004 (अनन्तिम)	29.41	34.58	63.99
2004-2005 (प्रत्याशित)	30.10	35.00	65.10

2.21 समुद्री उत्पादों की निर्यात क्षमता

2.21.1 2002-03 के दौरान, देश से 6793.05 करोड़ रुपए के मूल्य वाले 5.21 लाख टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया। इसकी तुलना में 2001-02 में 5815 करोड़ रुपए के मूल्य वाले 4.58 लाख टन समुद्री मात्स्यिकी का निर्यात किया गया था। फिर भी, 2003-04 में मछली तथा मत्स्य उत्पादों के निर्यात में 5739.33 करोड़ तक की गिरावट हुई थी जिसका मुख्य कारण पिछले वर्षों की तुलना में हिमित मछली का निर्यात था। हिमित स्किवड, अन्य फिन मछलियों की किस्मों की कटल मछली आदि के निर्यातों को प्रोत्साहन देकर विविधिकरण के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

1991-92 से समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धिः

वर्ष	मात्रा (000 टन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1991-92	171.80	
1992-93	208.60	1767.43
1993-94	244.00	2503.62
1994-95	320.90	3536.64
1995-96	327.40	3381.13
1996-97	394.50	4007.63
1997-98	398.20	4457.00
1998-99	311.20	4334.00
1999-00	390.70	5056.00
2000-01	502.60	6296.00
2001-02	457.60	5815.00
2002-03	520.70	6793.05
2003-04 (अनन्तिम)	412.01	5739.34

स्रोतः भरतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी (मुख्य जिंस तथा देश), डीजीसीआईतथाएस

मछली उत्पादन, समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों तथा अंतर्देशीय जल संसाधनों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-8, 10 तथा 11 में दिया गया है और मत्स्य बीज उत्पादन के वर्षवार आंकड़ें अनुबंध - 9 में दिए गए हैं।

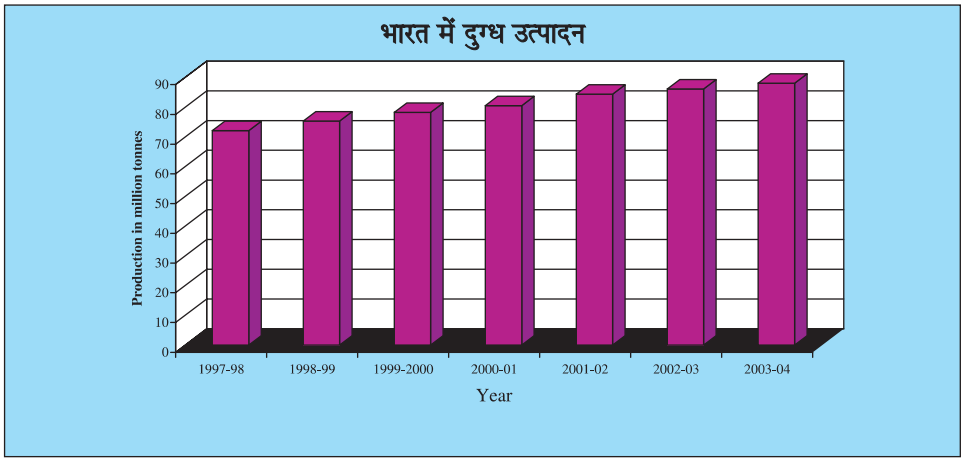

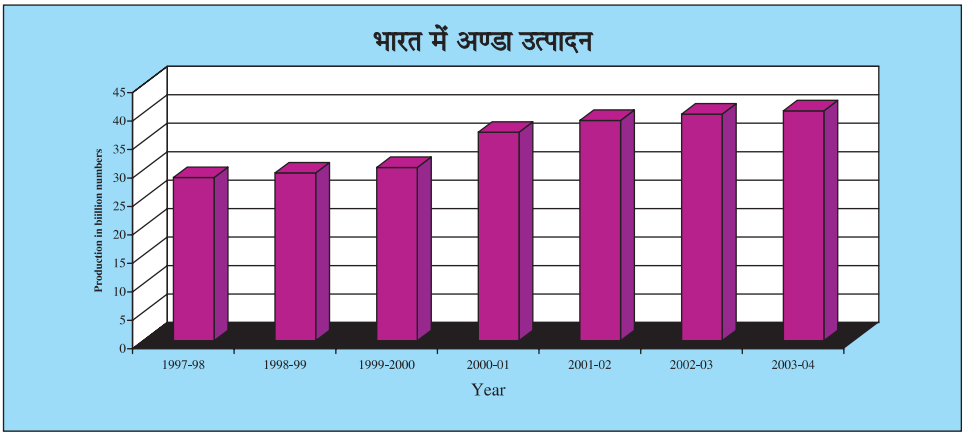

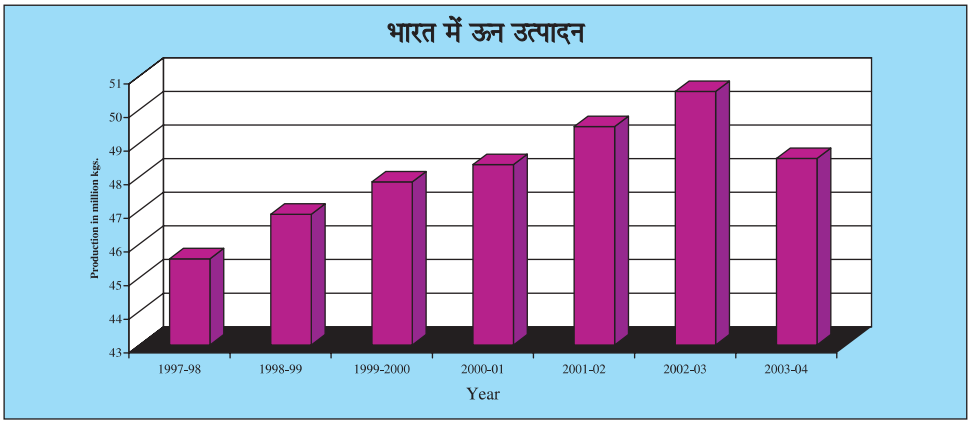

अध्याय 3

पशुपालन

योजनाओं की विषय-वस्तु तथा प्रगति

3.1 यह विभाग पशुधन के आनुवंशिक उन्नयन एवं संकर प्रजनन हेतु राज्य सरकारों को उच्च स्तर के जर्मप्लाज्म के उत्पादन एवं वितरण के लिए 18 केन्द्रीय पशुधन संगठनों एवं सम्बद्ध संस्थानों का संचालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पशुपालन क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए कई केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

3.2 केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन

3.2.1 इन संगठनों में सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, तथा चार केन्द्रीय गोयूथ पंजीकरण ईकाइयां सम्मिलित हैं जो देश में सांडों एवं हिमित वीर्य खुराकों की जरूरत को पूरा करने के लिए आनुवंशिक रूप से उन्नत संकर सांड बछड़ों, अच्छे किस्म के हिमित वीर्य के उत्पादन तथा गोपशु एवं भैंसों के बेहतर जर्मप्लाजम के अवस्थापना हेतु देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं।

3.3 केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म (सी सी बी एफ)

3.3.1 अलमाधी (तमिलनाडु), अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश), चिपलीमा, सूनाबेड़ा (उड़ीसा), धामरोड (गुजरात), हैसरघट्टा (कर्नाटक) और सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थित 7 केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म हैं। वे राज्यों को वितरित करने के उद्देश्य से गोपशु की स्वदेशी और विदेशी नस्लों के उच्च उत्पादक सांड़ बछड़ों और भैंसों की महत्वपूर्ण नस्लों का उत्पादन कर रहे हैं। सांड़ बछड़े थारपरकर, रेड सिंधी, जर्सी, हालस्टीयन फ्रिशियन एवं वर्ण संकर गोपशुओं, सुरती और मुर्राह भैंस नस्लों से उत्पादित किए जाते हैं। अंदेशनगर और चिपलीमा स्थित फार्म क्रमशः एच एफ x थारपरकर वर्ण संकर और जर्सी x रेड सिंधी वर्ण संकर सांड़ों का उत्पादन कर रहे हैं। 2004-05 के दौरान (जनवरी, 2005 तक) इन फार्मों ने 279 सांड बछड़ों का उत्पादन किया।

3.4 केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैस्सरघट्टा

3.4.1 हैस्सरघट्टा (कर्नाटक) में स्थित यह एक प्रमुख संस्थान है जो कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग के लिए स्वदेशी, विदेशी वर्ण संकर नस्ल तथा मुराह भैंसों की हिमित वीर्य खुराकें तैयार कर रहा है। यह संस्थान राज्य सरकारों के तकनीकी आधिकारियों को हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण भी देता है और देश में निर्मित हिमित वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान उपकरणों के परीक्षण के लिए एक केन्द्र के रूप में काम करता है। वर्ष 2004-05 के दौरान (जनवरी, 2005 तक) संस्थान ने 10.50 लाख खुराकों की तुलना में हिमित वीर्य की 10.36 लाख खुराकें उत्पादित की ।

3.5 केन्द्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना (सी एच आर एस)

3.5.1 केन्द्रीय यूथ पंजीकरण योजना राष्ट्रीय महत्व की अच्छी नस्ल वाली गाय और भैंसों के पंजीकरण के लिए है तथा अच्छी नस्ल की गायों और नर बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के साथ किया जा रहा है। यह योजना अच्छी

किस्म की डेयरी गायों और भैंसों तथा उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले सांडों और उनकी संतति की खरीद में राज्यों को सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

3.5.2 बोवाईन संख्या के आनुवंशिक सुधार में फील्ड निष्पादन रिकार्डिंग प्रमुख भूमिका निभाती है। मान्यता प्राप्त स्वदेशी नस्लों के अभिज्ञात प्रजनन क्षेत्रों में फील्ड निष्पादन रिकार्डिंग प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। फील्ड निष्पादन रिकार्डिंग क्षेत्र संतति परीक्षण कार्यक्रम के लिए सांडों की सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बेहतर जर्म प्लाज्म को अभिज्ञात करने, बेहतर आनुवांशिक स्टाक का प्रसार करने तथा प्रजनक सोसायटियों को सूचना देने के लिए केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना उपयोगी है।

3.5.3 योजना के उद्देश्य

1. बेहतर जर्म प्लाज्म का पता लगाना और उसका स्थान।
2. बेहतर जर्म प्लाज्म उत्पादित करने में इस आंकड़े का इस्तेमाल करना।
3. स्वदेशी जर्म प्लाज्म का संरक्षण।
4. डेयरी उद्योग में सुधार के लिए गोपशु और भैंसों की दुग्ध रिकार्डिंग।

3.5.4 बेहतर जर्म प्लाजम को अभिज्ञात करने, चयन मानक निर्धारित करने और प्रजनक एसोसिएशनों के गठन के लिए रोहतक, अहमदाबाद, अजमेर और ओंगले में इस योजना के तहत चार यूनिटें स्थापित की गई हैं । इन यूनिटों में गिर, कंकरेज, हरियाणा और ओंगले पशु नस्लों तथा मुर्राह, जाफराबादी, सुरती तथा मेहसाना भैंस नस्लों को उनके प्रजनन ट्रेक में अभिज्ञात किया जाता है। फील्ड निष्पादन रिकार्डिंग कार्यक्रम के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में राज्य विभागों और अन्य एजेंसियों के सहयोग से 92 दुग्ध रिकार्डिंग केन्द्र काम कर रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान फील्ड निष्पादन रिकार्डिंग और फील्ड दौरों के संबंध में एक सेमिनार आयोजित किया गया था। वर्ष 2004-05 के दौरान जनवरी, 2005 तक 11,000 के लक्ष्य की तुलना में 10471 गाय और भैंसों का प्राथमिक पंजीकरण किया गया है।

3.6 राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना

3.6.1 आनुवंशिक सुधार दीर्घकालिक गतिविधि है और भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना नामक एक प्रमुख कार्यक्रम 10 वर्ष की अवधि के लिए दो चरणों में अक्टूबर, 2000 से देश में शुरू किया है जो प्रथम चरण के लिए 402 करोड़ रुपए के आबंटन से शुरू होगा। इस परियोजना में प्राथमिकता आधार पर आनुवंशिक उन्नयन की व्यवस्था है। इस परियोजना में महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस परियोजना में राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए 100% अनुदान की व्यवस्था है।

स्वदेशी गोपशु नस्ल

3.6.2 उद्देश्य

इस योजना के उद्देश्य हैं-

(क) किसानों के दरवाजे पर व्यापक रूप से उन्नत कृत्रिम गर्भाधान प्रदान करने की व्यवस्था करना।

(ख) 10वर्षों की अवधि के भीतर कृत्रिम गर्भाधान अथवा उच्च गुणवत्ता वाले सांड़ों की स्वाभाविक सेवाओं के जरिए संगठित प्रजनन के तहत गोपशु और भैंसों के मध्य सभी प्रजनन योग्य मादाओं को तेजी से लाना।

(ग) स्वदेशी गोपशु और भैंस नस्ल के जरिए उनकी आनुवंशिक गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक नस्ल सुधार कार्यक्रम को शुरू करना।

3.6.3 घटक

(क) औद्योगिक गैस निर्माताओं से सप्लाई लेकर तरल नाइट्रोजन के भंडारण और सप्लाई को सुचारू बनाना तथा उसके लिए थोक परिवहन और भंडारण प्रणाली स्थापित करना,

(ख) उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले बेहतर सांडों को लाना,

(ग) कृत्रिम गर्भाधान की घर-द्वार तक डिलीवरी के लिए निजी मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान सेवा का संवर्धन,

(घ) मौजूदा स्थिर सरकारी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में बदलना,

(ड.) स्पर्म केन्द्रों, वीर्य बैंकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों पर सांडों तथा सेवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण,

(च) कृत्रिम गर्भाधान की पहुंच से बाहर के क्षेत्रों में प्रजनन प्रणालियों का अध्ययन तथा

(छ) उत्पादन तथा आनुवंशिक आदानों तथा तरल नाइट्रोजन की सप्लाई के प्रबंधन के कार्य को विशेषज्ञ स्वायत्त तथा व्यावसायिक राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को सौंप करके संस्थागत पुनर्संरचना।

3.6.4 योजना की प्रगति

परियोजना में भाग ले रहे 26 राज्यों को अब तक 195.65 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2004-05 के दौरान, फरवरी 2005 तक 5718 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, 9 वीर्य केन्द्र, 38 वीर्य बैंकों तथा 20 प्रशिक्षण केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए 61.08 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

3.6.5 राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को गठन

अक्टूबर, 2000 में परियोजना के शुरू होने से अब तक इस परियोजना के तहत 21 राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों का गठन किया गया है। ये क्रियान्वयन एजेंसियां व्यावसायिक दृष्टिकोण से परियोजना का क्रियान्वयन कर रही हैं। छोटे राज्यों के मामले में, जो व्यवहार्य राज्य क्रियान्वयन एजेंसयां गठित करने की स्थिति में नहीं हैं धनराशि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को जारी की जाती है। 2003-04 में कर्नाटक, तमिलनाडु द्वारा और 2004-05 में गुजरात तथा महाराष्ट्र द्वारा भागीदारी से परियोजना का कवरेज बढ़ा है। तथापि, बिहार और झारखंड अभी इस परियोजना में शामिल नहीं हुए हैं।

3.6.6 प्रजनन योग्य पशुओं की कवरेज में वृद्धि

देश में वीर्य उत्पादन 22 मिलियन स्ट्रॉ (1999-2000) से बढ़कर 30 मिलियन स्ट्रॉ (2003-04) हो गया है और गर्भाधान की संख्या 20 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गयी है। चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल तथा मध्य प्रदेश) के लिए नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार कुल गर्भाधान दर 20 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गयी है। प्रजनन योग्य बोवाईन की कवरेज 16 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है।

3.6.7 वीर्य केन्द्रों का मूल्यांकन

विभाग ने हिमित वीर्य केन्द्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय निगरानी यूनिट गठित की है।

इस केन्द्रीय निगरानी यूनिट ने इस वर्ष 64 हिमित वीर्य केन्द्रों में से 59 केन्द्रों को मूल्यांकन किया है।

3.6.8 वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकाल का विकास (एमएसपी)

समान गुणवत्ता वाले हिमित वीर्य का उत्पादन करने के उद्देश्य से बीएआईएफ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीआरआई (करनाल) और केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान के परामर्श से वीर्य उत्पादन के लिए एक न्यूनतम मानक प्रोटोकाल विकसित किया गया है और इसे 20 मई, 2004 से प्रभावी कर दिया गया है।

गुणवत्ता वीर्य उत्पादन तथा तरल नाइट्रोजन की डिलीवरी

3.6.9 वीर्य केन्द्रों के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए हिमित वीर्य स्ट्रॉ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक वीर्य केन्द्र आईएसओ प्रमाण-पत्र हासिल करेगा। ऊटी, बिदाज, पूणे, हिसार, गुडगाँव (हरियाणा), जगाधरी (हरियाणा) और हरिघंट्टा (पश्चिम बंगाल) में पहले ही आईएसओ प्रमाण-पत्र ले लिया है।

3.6.10 वीर्य उत्पादन के लिए इस्तेमाल सांड़ों का परीक्षण

विभाग ने सभी प्रकार के यौन रोगों के लिए सांड़ों के रोग परीक्षण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। केन्द्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला (सीडीडीएल) और क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं (आरडीडीएल) को यह दायित्व दिया गया है कि वे केन्द्रीय फार्मों, राज्य/सहकारी/भ्रूण अन्तरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और निजी फार्मों में वीर्य केन्द्रों के प्रजनन योग्य सभी सांड़ों और सांड माताओं का परीक्षण करें। क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं में अधिकांश राज्यों में सांड़ों और सांड़ माताओं का परीक्षण शुरू कर दिया है तथा संक्रमित सांड़ों तथा सांड़ माताओं को अलग कर दिया गया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे "पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता" नामक योजना के तहत हिमित वीर्य सांड़ केन्द्रों, फार्मों और भ्रूण अंतरण प्रयोगशालाओं के आस-पास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में खुरपका और मुंहपका रोग के विरूद्ध टीकाकरण शुरू करें।

3.7 कुक्कुट विकास

3.7.1 कुक्कुट विकास में पिछले तीन दशकों में अत्यधिक प्रगति हुई है और यह घरेलू प्रणाली से बाहर निकल कर औद्योगिक संवर्धन का उद्यम बन गई है। भारत विश्व मानचित्र पर एक अग्रणी अंडा उत्पादक देश है जो प्रतिवर्ष 40 बिलियन अंडों का उत्पादन करता है। ब्रॉयलर उत्पादन भी लगभग 15 प्रतिशत की वार्षिक दर पर काफी अधिक है और इस समय लगभग 1000 मिलियन ब्रॉयलर का उत्पादन हो रहा है।

3.7.2 देश में वाणिज्यिक तर्ज पर कुक्कुट पालन को संवर्धित करने के लिए केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों द्वारा दी गई प्रांरभिक गति के बाद कुक्कुट क्षेत्र काफी बढ़ा है और अब लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन प्रबंधन तथा विपणन अत्यधिक संगठित क्षेत्र के अधीन है। शेष 30 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र पर, जिसके योगदान को सुदृढ़ करने की जरूरत है, अब घरेलू कुक्कुट को संवर्धित करके ध्यान दिया जा रहा है।

3.8 केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन (क्षेत्रीय कुक्कुट विकास निदेशालय)*

3.8.1 इस विभाग के तहत कार्यरत बारह कुक्कुट यूनिटों को संबंधित क्षेत्रों की यूनिटों के साथ मिलाकर पुनःसरंचित किया गया है और इसका नाम केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन रखा गया है ताकि कुक्कुट विकास की गतिविधियों को एकल खिड़की प्रणाली में अंतरित किया जा सके। ये संगठन अब अपने संबंधित क्षेत्र में निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य कर रहे हैं :-

1) **गुणवत्ता चूजों को उपलब्ध कराना** - क्षेत्रीय केन्द्रों पर, अभिज्ञात निम्न आदान प्रौद्योगिकी स्टॉक का बहुलीकरण किया जाएगा और उनकी क्षेत्र के सभी राज्यों में उनके ग्रामीण कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के लिए आपूर्ति की जाएगी। आवश्यकता होने पर ये संगठन आई सी ए आर, कृषि विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि द्वारा विकसित निम्न आदान प्रौद्योगिकी के प्रजनन स्टॉक की खरीद करते हैं।

2) **बहु आयामीकरण कार्यक्रमः**- अब तक कुक्कुट विकास केवल एक प्रजाति अर्थात् चिकन पर ही ध्यान केन्द्रित कर रहा है। विभाग ने इस कार्यक्रम के बहुआयामीकरण को एक बलित क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है और इस तरह बतख व टर्की (दक्षिणी क्षेत्र), जापानी बटेर (उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र) और गुनिया फाउल और बतख (पूर्वी क्षेत्र) को समुचित रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। चूंकि व्यापक पैमाने पर यह बहुआयामीकरण कार्यक्रम देश में पहली बार शुरु किया जाएगा, इसलिए कुछ लोगों को टर्की, गुनिया फाउल, बत्तख तथा जापानी बटेर इत्यादि में उन देशों से प्रशिक्षित करवाने की आवश्यकता है जहां उन्होंने अच्छे स्टॉक विकसित किए हैं और उनकी प्रबंधन गतिविधियां पालन की भारतीय पद्धति के अनुकूल हों। यदि आवश्यक हो तो इन स्टॉकों की ब्राड बेस जर्मप्लाज्म विकसित करने के लिए निर्यात भी किया जा सकता है।

3) **आहार गुणवत्ता निगरानी विंग का सुदृढ़ीकरण** - आहार विश्लेषण प्रयोगशाला अपनी गतिविधियां विभिन्न आहार/आहार अवयवों के विश्लेषण और स्थानीय रूप से उपलब्ध अवयवों पर आधारित अल्प लागत आहार निर्माण विकसित करने संबंधी गतिविधियों पर केन्द्रित कर रही है।

4) **प्रशिक्षण कार्यक्रम** - प्रशिक्षण कार्यक्रम समुचित रूप से प्रशिक्षकों, किसानों, महिला लाभार्थियों, विभिन्न सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के कुक्कुट संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, बैंकों, सहकारिताओं तथा विदेशी प्रशिक्षुओं आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी क्षेत्रीय केन्द्रों पर बनाया जाएगा। उद्योग की आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता आधारित और लचीले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। पहली बार उद्योग द्वारा प्रायोजित 25 उम्मीदवारों को आहार विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

5) **यादृच्छिक नमूना परीक्षण** - गुड़गांव, हरियाणा स्थित यादृच्छिक कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि गृह, आहार, सिंचाई के क्षेत्रों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर इस केन्द्र को राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र के रूप में बनाया जा सके जिससे विभाग को देश में उपलब्ध और भारत से बाहर विभिन्न कुक्कुट उद्योग क्षेत्रों द्वारा आयातित विभिन्न स्टॉकों का नियमित परीक्षण करने में समर्थ बनाया जा सके ताकि भारत में उन स्टॉकों के निष्पादन का अनुमान लगाया जा सके और केन्द्र रोग स्थिति की निगरानी में भी सहायक होगा।

मीट किस्म के चूजे

3.9 "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना

3.9.1 यह योजना सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है। सहायता की पद्धति सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 100 प्रतिशत है जबकि अन्य राज्यों के मामले में इसका अनुपात प्रत्येक फार्म के लिए 85.00 लाख रुपए की अधिकतम दर पर केन्द्र और राज्यों के बीच क्रमशः 80:20 का है। राज्य हिस्सेदारी की गणना करते हुए उपलब्ध कराई गई भूमि और अन्य आदानों को भी उनकी हिस्सेदारी के रूप में शामिल किया जाएगा। राज्य कुक्कुट फार्मों के मौजूदा परिसर में गुनिया फाउल, बटेर, टर्की पालन को भी नई गतिविधि के रूप में शुरू किया जा रहा है। योजना राज्य सरकारों के उन फार्मों पर भी लागू है जो सहकारिताओं/निजी क्षेत्र/गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के साथ सहयोग से चल रहे हैं। आहार मिल की व्यवस्था और उनकी गुणवत्ता निगरानी व घर में रोग नैदानिक सुविधाओं के साथ पक्षियों के हैचिंग, ब्रूडिंग और पालन के संबंध में उन्हें सुदृढ़ करने के लिए एक बार में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये फार्म इस विभाग द्वारा, अभिज्ञात निम्न आदान प्रौद्योगिकी पक्षियों के परंट स्टॉक का ही रखरखाव करते हैं। प्रतिस्थापन प्रजनन स्टॉक, आहार अवयवों, ढुलाई, दवाओं व टीकों इत्यादि की खरीद के लिए परिक्रामी कोष की भी इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है। वर्ष 2004-05 के दौरान, फरवरी, 2005 तक इस योजना के तहत 9.75 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

3.10 केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)

3.10.1 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिसार में स्थापित यह फार्म, वर्ण संकरण कार्यक्रम और अनुवांशिक स्टॉक उन्नयन के लिए विभिन्न राज्य भेड़ फार्मों को परिस्थिति अनुकूल मेढ़ों के उत्पादन और वितरण के लिए कार्य कर रहा है। यह फार्म यांत्रिक रूप से भेड़ की ऊन कटाई, ऊन की ग्रेडिंग और भेड़ की ऊन कटाई मशीनों के रख-रखाव तथा भेड़ प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। इस फार्म ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों के माध्यम से लाभार्थियों को कुल 3725 विदेशी तथा वर्ण संकर मेढ़ों तथा 74 भेड़ी की आपूर्ति की है।

वर्ष के दौरान, फरवरी, 2005 तक फार्म में 1233 भेड़ों और 50 भेड़ी की सप्लाई की है इसके अलावा इस फार्म में यांत्रिकी ऊन कटाई में 107 अधिकारियों/किसानों को तथा भेड़ प्रबंधन में 143 लोगों को प्रशिक्षित किया है।

3.11 भारवाही पशुधन नस्लों का संरक्षण

3.11.1 पशुधन की विलुप्त प्राय नस्लों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए " जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, भारवाही पशुओं और अश्व की विलुप्तप्राय पशुधन नस्लों का संरक्षण " नामक एक नयी केन्द्रीय प्रायोजित योजना दसवीं योजना के दौरान शुरू की गयी है। इस योजना के तहत भेड़, बकरी, सूअर, ऊँट, याक, घोड़े, गधे और खच्चर के संरक्षण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। अनुदान, संरक्षण कार्य में लगे राज्य सरकार के फार्मों/राज्य सरकार के उपक्रमों/बोर्डों/परिसंघों/आईसीएआर आदि जैसे सरकारी संस्थानों/गैर-सरकारी संस्थानों/स्वसहायता समूहों/किसानों/प्रजनकों/ख्याति प्राप्त व्यावसायिक वैज्ञानिकों को राज्य सरकार के माध्यम से दिया जाता है।

3.11.2 2004-05 के दौरान, जनवरी, 2005 तक सिक्किम की हाजी याक के (58.50 लाख रुपए), हिमाचल प्रदेश के याक (37.00 लाख रुपए), केरल की मालावारी बकरी (28.55 लाख रुपए), नागालैण्ड की लम्बे बालों वाली बकरी (61.30 लाख रुपए) तथा पश्चिम बंगाल के घुंघरू सूअर (22.35 लाख रुपए) के संरक्षण के लिए 207 लाख रुपए की राशि जारी की है।

3.12 मीट तथा मीट उत्पाद

3.12.1 देश के पास विश्व की पशुधन संख्या का 11 प्रतिशत से भी अधिक पशुधन है जिसमें भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, गोपशु और कुक्कुट जैसे मीट पशुओं की विभिन्न किस्में शामिल है। प्रति व्यक्ति पशु प्रोटीन उपलब्धता लगभग 10 ग्राम है। जबकि विश्व औसत 25 ग्राम का है। पशु प्रोटीन के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 20 ग्राम की न्यूनतम आवश्कता के लक्ष्य को देखते हुए 4 ग्राम मीट से आएगा और शेष 16 ग्राम अन्य पशुधन उत्पादों से। 5.7 लाख मिलियन मीट के मौजूदा उत्पादन की तुलना में मौजूदा जनसंख्या के लिए मीट की आनुमानित मांग 7.7 मिलियन टन होगी।

3.12.2 मीट के उत्पादन के लिए उनके प्रभावी इस्तेमाल के लिए विभिन्न अनउत्पादक पशुधन की हत्या की जाती है। इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि सुरक्षित और संपूर्ण पौष्टिक मीट उपलब्ध कराए जाए,

कथिआवाढ़ी अश्व

पशु उत्तोत्पादों का लाभप्रद इस्तेमाल हो और वायुयानों से पक्षियों के टकराने की घटनाओं को रोका जाए, पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जाए और पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए"बूचड़खानों के सुधार/आधुनिकीकरण तथा पशुशव उपयोगिता केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना से क्रियान्वित की जा रही है।

3.12.3 बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को योजना के क्रियान्वयन के लिए 50:50 (केन्द्र : राज्य) आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है।

3.12.4 पशुशव उपयोगिता केन्द्रों के लिए भवन, संयंत्र और मशीनरी, जलापूर्ति के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता तथा बिजली लगाने, फिटिंग जेनरेटर आदि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जाती है।

3.12.5 चालू वर्ष के दौरान, जोधपुर (राजस्थान) में पशुशव उपयोगिता केन्द्र की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपए तथा अमृतसर (पंजाब) में बूचड़खानें के आधुनिकीकरण के लिए 100.00 लाख रुपए की स्वीकृति का पुनर्वैद्यीकरण किया गया था और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु को फरवरी, 2005 तक 12.63 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया था।

3.13 आहार और चारा विकास

3.13.1 आहार और चारे का पोषक महत्व पशुधन की उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। खाद्यान, तिलहन और दाल उगाने के लिए भूमि पर बढ़ते दवाब के कारण चारा फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा, अपशिष्टों के विविध उपयोग के कारण चारे की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ रहा है। कई राज्यों में बारंबार सूखे के कारण भी इस बात की आवश्यकता हो गई है कि संवेदनशील क्षेत्रों में चारा बैंक विकसित किए जाएं तथा देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चारा आपूर्ति की कुशलता सुधारने के लिए नीतियां बनाई जाए। इस समय विभाग केन्द्रीय चारा विकास संगठन नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना क्रियान्वित कर रहा है।"आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को भी सूखे की स्थिति के कारण विशेष रूप से दसवीं योजना के तीसरे वर्ष के लिए दो घटकों के साथ जारी रखा गया है। आहार और चारा संवर्धन नामक एक नयी योजना शीघ्र स्वीकृत की जा रही है।

3.14 केन्द्रीय चारा विकास संगठन

3.14.1 इस योजना के तहत देश के विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में स्थित चारा उत्पादन और प्रदर्शन के लिए 7 क्षेत्रीय केन्द्र, 1 केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा, बंगलौर, चारा फसलों पर केन्द्रीय मिनिकट परीक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत चारा फसलों के संबंध में केन्द्रीय मिनिकट परीक्षण कार्यक्रम भी वित्तपोषित किया जा रहा है। ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र और केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा

3.14.2 चारा संबंधी फसलों तथा चारागाह घास/फली की अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा प्रचार के लिए सरकार ने मामडिपल्ली, हैदराबाद(आंध्र प्रदेश), गांधी नगर(गुजरात), हिसार(हरियाणा), सूरतगढ़(राजस्थान), साहेमा(जम्मू एवं कश्मीर), अलामाधि (तमिलनाडु) तथा कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में सात क्षेत्रीय केन्द्र तथा हैस्सरघट्टा, बंगलौर में एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म स्थापित किए हैं। ये केन्द्र फील्ड प्रदर्शनों तथा कृषक मेलों/फील्ड दिवसों के माध्यम से विस्तार गतिविधियां भी चलाते हैं। 2004-05 के दौरान, जनवरी, 2005 तक इन केन्द्रों ने 172 टन चारा बीजों का उत्पादन किया, 4009 प्रदर्शन आयोजित किए, 49 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 82 किसान मेले/फील्ड दिवस आयोजित किए।

चारा प्रदर्शन एकक

ख. चारा फसलों के संबंध में केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम

3.14.3 चारा मिनीकिट प्रदर्शन का उद्देश्य हरे चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चारा संबंधी फसलों की अधिक उपज देने वाली नवीनतम किस्मों तथा उन्नत कृषि विज्ञान संबंधी पद्धतियों के बारे में क्षेत्र प्रदर्शन के जरिए किसानों को शिक्षित करना है। चारा मिनिकटों में उच्च पैदावार वाली चारा फसलों/घासों/लैग्यूमों के बीजों को राज्यों को आगे किसानों में मुफ्त वितरण के लिए आबंटित किया गया है। प्रति किट बीजों की मात्रा चारा फसलों की किस्म और प्रकार के आधार पर एक किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक होती है। वर्ष 2004-05 के दौरान, विभिन्न राज्यों को 4.90 लाख मिनिकिट वितरित किए गए हैं।

3.15 आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता

3.15.1 यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्यों को आहार और चारा विकास क्षेत्र में उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना नौंवी योजना तक सात घटकों के साथ चलाई जाती थी। तथापि, इसे दसवीं योजना के दौरान बंद कर दिया गया तथा केवल दो घटकों (i) चारा बैंकों की स्थापना और (ii) भूसा/सैलूलोसिक अपशिष्ट का संवर्धन को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को सहायता के लिए मार्च, 2005 तक पुनर्जीवित किया गया।

क. चारा बैंकों की स्थापना

3.15.2 इस योजना के अंतर्गत, चारे को सूखे तथा कमी की अवधि के दौरान उपयोग करने के लिए चारे को संरक्षित करने के उद्देश्य से चारा बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2004-05 (जनवरी, 2005 तक) के दौरान, 75:25 (केन्द्र : राज्य) की वित्त पोषण की पद्धति के साथ नागालैण्ड (2), मिजोरम (2), महाराष्ट्र (1) तथा अरुणाचल प्रदेश (1) में छह चारा बैंकों की स्थापना के लिए 245.25 लाख रुपए प्रदान किए गए।

ख. भूसा तथा सैलूलोसिक अपशिष्टों का संवर्धन

3.15.3 इस योजना के अंतगर्त, पशुधन के आहार के रूप में उपयोग के लिए भूसा/सैलूलोसिक अपशिष्ट के संवर्धन के लिए राज्यों को 100% सहायता प्रदान की जाती है। यह उत्पादकता बढ़ाने में तथा दुग्ध उत्पादन की लागत कम करने में सहायता करती है। वर्ष 2004-05 (जनवरी, 2005 तक) के दौरान, उत्तर प्रदेश (337.66 लाख रुपए), नागालैंड (30.00 लाख रुपए), मिजोरम (30.00 लाख रुपए), हिमाचल प्रदेश (5.00 लाख रुपए), महाराष्ट्र (5.28 लाख रुपए), असम (68.35 लाख रुपए), अरुणाचल प्रदेश (60.00 लाख रुपए) तथा सिक्किम (57.65 लाख रुपए) राज्य सरकारों को 593.93 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं।

3.16 पशुधन स्वास्थ्य

3.16.1 सघन वर्ण संकरण प्रजनन कार्यक्रमों के जरिए पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के साथ पशुओं में विदेशी बीमारियों सहित विभिन्न रोगों के होने की सभावना बढ़ गयी है। रुग्णता और नश्वरता कम करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा सचल पशुचिकित्सा औषधालयों सहित पोलीक्लीनिकों/पशुचिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों/प्राथमिक चिकत्सा केन्द्रों के जरिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रोगों के तीव्र और विश्वसनीय निदान के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 26540 पॉलीक्लीनिक/

अस्पताल/औषधालय और 25433 पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र, जो लगभग 250 रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थित हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रोग निरोधक टीकाकरण के माध्यम से प्रमुख पशुधन और कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए टीकों की अपेक्षित मात्रा का देश में 26 पशुचिकित्सा टीका उत्पादन इकाइयों में उत्पादन होता है। इनमें से 19 सार्वजनिक क्षेत्र में और 7 निजी क्षेत्र के हैं। आवश्यकता होने पर निजी एजेंसियों द्वारा टीकों का आयात अनुमत्य है। पशु चिकित्सा संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध -12 में दिया गया है।

क. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं

3.16.2 इस सेवा का उद्देश्य पशुधन तथा पशुधन से संबंधित उत्पादों के आयात को विनियमित करके पशुधन रोगों के प्रवेश को रोकना तथा पशुधन उत्पादों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना है। नई दिल्ली, चैन्नई, मुम्बई तथा कोलकात्ता स्थित चार मौजूदा संगरोध केन्द्र एक छोटी प्रयोगशाला के साथ काम कर रहे हैं। सेवा केन्द्रों की गतिविधियों का ब्यौरा अनुबंध -13 में दिया गया है।

ख. राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र

3.16.3 इस समय भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान टीकों तथा जैविकों की गुणवत्ता की निगरानी के कार्य में सहयोग कर रहा है। किन्तु गुणवत्ता की बेहतर निगरानी करने के लिए एक अलग संस्थान स्थापित करना अनिवार्य है। चौधरी चरण सिंह पशुचिकित्सा स्वास्थ्य संस्थान उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थापित किया जा रहा है।

ग. केन्द्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण

3.16.4 राज्यों में मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के अलावा रैफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय तथा पाँच क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का पशुरोग अनुसंधान और निदान केन्द्र केन्द्रीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है। रोग विश्लेषण प्रयोगशाला, पुणे, पशु स्वास्थ्य और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता, पशु स्वास्थ्य और जैविक संस्थान बंगलौर तथा पशु स्वास्थ्य संस्थान, जालंधर और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, खानपाड़ा, गुवाहाटी क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए रेफरल प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

3.17 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण

3.17.1 रोग नियंत्रण के लिए निम्नलिखित घटकों के साथ एक मैक्रो प्रबंधन केन्द्रीय प्रायोजित योजना "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण" क्रियान्वित की जा रही है :-

(i) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

(ii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

(iii) व्यावसायिक दक्षता विकास

(iv) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

3.17.2 पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

राज्य/संघ शासित सरकारों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन एवं कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण, मौजूदा राज्य पशुचिकित्सा जैवकीय उत्पादन एककों के सुदृढ़ीकरण, मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा पशुचिकित्सकों एवं पैरा-पशुचिकित्सकों को सेवाधीन प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2003-04 के दौरान, 140 लाख टीकों के लक्ष्य की तुलना में 400 लाख टीके लगाए गए तथा वर्ष 2004-05 के दौरान 630 लाख टीकों के लक्ष्य की तुलना में लगभग 1040 लाख टीके लगाए जाने की संभावना है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम देश में विभिन्न पशुधन एवं कुक्कुट रोगों की घटनाओं

पशु चिकित्सा संबंधी देख-रेख

पर सूचना के एकत्रीकरण पर ध्यान देता है। इस प्रकार से संकलित सूचना सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों के साथ-साथ आफिस इंटरनेशनल देस इपीजूटिज (ओआईई), एशिया एवं पैसिफिक पशु उत्पादन तथा स्वास्थ्य आयोग, आदि को मासिक पशु रोग निगरानी बुलेटिन के रूप में प्रेषित की जाती है। इस सूचना प्रणाली को आआईई की दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया है। अधिकांश राज्य सूचना के बेहतर प्रचार-प्रसार के लिए अपनी रोग रिपोर्टों को सभी संबंधितों के लिए स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करते हैं। वर्ष 2003 के दौरान ओआईई सूची क, ख तथा भारत में अन्य रोगों की घटना अनुबंध - 14 में दी गई है।

3.17.3 व्यावसायिक दक्षता विकास

पशुचिकित्सा व्यावसाय को विनियामित करने तथा पशुचिकित्सा व्यावसायियों के रजिस्टर के रख-रखाव को ध्यान में रखते हुए "व्यावसायिक दक्षता विकास " कार्यक्रम को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में उन राज्यो/संघशासित क्षेत्रों में जिन्होंने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को अपना लिया है, राज्य स्तर पर राज्य पशुचिकित्सा परिषद और केन्द्र में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद की स्थापना पर जोर देता है।

3.17.4 राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई)

पशप्लेग फटे हुए खुरों वाले पशुओं का अत्यधिक संक्रामक वायरल (मोर बिल्ली वायरस संक्रमण) रोग है जो गोजातिय पशुओं के साथ-साथ छोटे जुगाली करने वाले पशुओं में अत्यधिक मृत्यु का कारण बनता है। पशुप्लेग नियंत्रण कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में 1954 के दौरान शुरू किया गया था। तब से, यह कार्यक्रम विभिन्न नीतियों को अपनाकर चल रहा है। मौजूदा राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई) मई, 1992 में एएलए/89/04 परियोजनाः "पशुप्लेग उन्मूलन पर विशेष जोर देते हुए पशुधन रोग नियंत्रण के लिए पशुचिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण" के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इसके लिए यूरोपीय संघ ने अनुदान के रूप में ईसीयू 40.30 मिलियन देने के लिए भारत सरकार के साथ वित्तीय समझौता किया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देशभर में पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करके पशुप्लेग तथा संक्रामक बोवाईन प्लूरो न्यूमोनिया (सीबीपीपी) का उन्मूलन करना तथा ऑफिस इंटरनेशनल देस इपीजूटिस (ओआईई), पेरिस द्वारा निर्धारित पाथवे का अनुपालन करके पशुप्लेग तथा सीबीपीपी संक्रमण से मुक्ति प्राप्त करना है। इस

परियोजना के लिए छह वर्षों के लिए कुल आबंटन 261.00 करोड़ रुपए था जिसमें भारत सरकार का अंशदान 33.00 करोड़ रुपए था। ईईसी के साथ वित्तीय समझौता 31.7.98 को समाप्त हो गया था तथा उसके बाद यह योजना घरेलू संसाधनों के साथ क्रियान्वित की जा रही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यह योजना "पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण" घटक के रूप में जारी है।

3.17.4.1 परियोजना के मुख्य लाभ

इस परियोजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पशुधन के स्वामियों, विशेषकर छोटे, सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक लाभ में पहुँचाएगा। इसके अलावा, इस परियोजना के मीट तथा अन्य पशुधन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की आशा है तथा पशुधन स्वास्थ्य पर किया गया व्यय पशुप्लेग तथा सीबीपीपी के उन्मूलन के कारण पर्याप्त रूप से कम होगा। पशुचिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण खुरपका एवं मुंहपका रोग (एफएमडी) आदि जैसे अन्य रोगों के खिलाफ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने के लिए मार्ग प्रसस्त करेगा।

3.17.4.2 परियोजना ढ़ांचा

यह परियोजना राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों, आईसीएआर तथा अनुसंधान संस्थानों आदि की भागीदारी के साथ पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का क्रियान्वयन तथा इसकी निगरानी केन्द्रीय परियोजना निगरानी यूनिट और राज्य निगरानी यूनिटों दोनों द्वारा की जाती है।

3.17.4.3 विशेष उपलब्धियाँ

इस परियोजना ने ओआईई पाथवे की संतुष्टि के लिए 1992 से आठवीं तथा नौवीं पंचवषीय योजना के दौरान विभिन्न घटकों को जारी रखा। इसी पाथवे को दसवीं योजना में जारी रखा जा रहा है। इस परियोजना की विशिष्ट उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :-

1. पशुप्लेग की पिछली घटनाओं तथा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर देश को चार जोन में बाँट दिया गया, अर्थात् जोन क - पूर्वोत्तर राज्य, जोन ख - महाराष्ट्र तथा गोवा सहित कश्मीर से बिन्धास तक इन्डो-गैंगेटिक प्लेन, जोन ग - दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्य तथा संघ शासित प्रदेश, जोन घ - अण्डमान तथा लक्षद्वीप प्रदेश। देश के 1 मार्च, 1998 से पशुप्लेग से अनंतिम रूप से मुक्त घोषित कर दिया गया था।

2. एनपीआरई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए, इस परियोजना से कार्यक्रम की सफलता के लिए राज्यों में 32 एलिसा प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), भुवनेश्वर में राष्ट्रीय मोर बिल्ली वायरस प्रयोगशाला, पशुस्वास्थ्य एवं पशुचिकित्सा जैविकी संस्थान (आईएएचएण्डबीबी), बंगलौर में एलिसा परीक्षण एवं डाटा प्रबंधन केन्द्र (ईटीडीएमसी) को सुदृढ़ किया है।

3. पशुचिकित्सा सेवाओं को वाहन, आधुनिक उपकरण, शीत श्रृंखला उपकरण तथा राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की पशुचिकित्सा सेवाओं के बुनियादी ढ़ांचे के विकास के लिए अन्य सहायक व्यवस्थाओं को प्रदान करके सुदृढ़ किया।

4. पशुप्लेग तथा अन्य रोगों के उत्पादन के लिए नौ जैवकीय उत्पादन यूनिटों को सुदृढ़ किया गया था।

5. भारत-पाकिस्तान बार्डर के साथ-साथ 30 किलोमीटर चौड़ी इम्यून बेल्ट को छोड़कर देश में मार्च, 1998 से टीकारण पूरी तरह से बद कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में पशुप्लेग पाया जाता है। इसे भी अक्टूबर, 2000 से बंद कर दिया गया है।

6. किसी भी स्तर पर इस रोग के पुनः उभरने की घटना से निपटने के लिए पशुप्लेग टीके की 2.5 मिलियन खुराकों के साथ छह टीका बैंकों को स्थापित किया गया है।

7. संक्रामक बोवाईन प्लूरो न्यूमोनिया (सीबीपीपी) के उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम राज्य तथा भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंघान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर द्वारा असम में शुरू किया गया है। देश को अक्टूबर, 2003 से सीबीबीपी के अनंतिम रूप से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

8. भेड़ तथा बकरियों में पशुप्लेग जैसी बीमारी पीपीआर को नियंत्रण के लिए एनपीआरई के संरक्षण के अधीन तनुवास, चैन्नई में पीपीआर के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया गया है। इसे आईवीआरआई, मुक्तेश्वर में भी विकसित किया गया है। राज्य में पीपीआर टीके के उत्पादन के लिए छह जैवकीय उत्पादन यूनिटों की पहचान की गई है।

9. "पशुप्लेग रोग से मुक्ति " की दूसरी स्टेज को 22.5.2004 प्राप्त कर लिया गया है।

10. आईवीआरआई, मुक्तेश्वर की भागीदारी से पशुप्लेग निगरानी तथा सीरो निगरानी के लिए सी-एलिसा किट का विकास कर लिया गया है। इस किट को डब्ल्यू आर एल, पिरब्राइट, यूके द्वारा पुष्टि कर दी गई है तथा उसे ओआईई द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

3.17.4.4 परियोजना के लक्ष्य तथा उपलब्धियॉ

राज्य योजना के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कर रहे है ताकि"पशुप्लेग संक्रमण से मुक्ति" के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेः

1. देश के सभी गांवों का स्टॉक रूट सर्च के साथ व्यक्तिगत रूप से सक्रिय निगरानी जारी है।

2. पशुप्लेग के छुपे हुए किसी वायरस का पता लगाने के लिए सभी पशुचिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों आदि के डे-बुक की जाँच करके पैसिब निगरानी की जा रही है।

3. देशभर में चुनिंदा 1162 गांवों में ईटीडीएमसी, बंगलौर द्वारा निर्धारित नमूना दिशानिर्देशों के अनुसार सीरो निगरानी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जहाँ पर पात्र पशुओं की पहचान की गई है तथा इन पशुओं को आगे जाँच के लिए सीरो नमूने एकत्र कए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पूरा होने पर, देश के लिए पशुप्लेग संक्रमण से मुक्ति पाने संबंधी डोजियर को ओआईई को प्रस्तुत किया जाएगा।

4. राष्ट्रीय पशु रोग आपातकालीन योजना के अंतर्गत, पूर्व चेतावनी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू की गई है। इसके अंतगर्त, भारत सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय पशु रोग आपातकालीन समिति (एनएडीईसी) तथा राज्यों में राज्य पशु रोग आपातकालीन समितियां (एसएडीईसी) गठित की गई हैं।

5. योजना के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए, राज्यों/संघशासित प्रदेशों/अनुसंधान संस्थानों को वाहन/सचल प्रयोगशालाएं/उन्नत उपकरणों आदि की आपूर्ति की गई है।

6. सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों को आरएफ/ई-मेल सुविधा का स्थापना एवं प्रारम्भ एनआईसी के जरिए प्रगति पर है।

3.17.5 खुपरका एवं मुहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

3.17.5.1 मैक्रो-प्रबंधन दृष्टिकोण के अंतर्गत, टीके की लागत एवं सहायक खर्चों सहित खुरपका रोग के नियंत्रण के लिए देश में 54 विशिष्ट जिलों में 100% वित्तपोषण के साथ "खुरपका एवं मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम" नामक एक नया घटक क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारों को मानवशक्ति, बुनियादी ढ़ांचा तथा लोजिस्टिक सहायता प्रदान की जा रही है।

3.17.5.2 वर्ष 2003-04 के प्रथम दौर के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 270 लाख टीके लगाए गए

गिर गोपशु नस्ल

हैं तथा वर्ष 2004-2005 के दूसरे तथा तीसरे दौर में लगभग 550.00 लाख टीक लगाए जाने की संभावना है।

3.18 पशुपालन सांख्यिकी

3.18.1 पशुपालन सांख्यिकी एकक पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी गतिविधियों के लिए डाटा बेस रखने के लिए उत्तरदायी है। यह पशुधन क्षेत्र के विकास से संबंधित राज्य सरकारों तथा अन्य केन्द्रीय विभागों/संगठनों के साथ परस्पर सम्पर्क करके दूध,अंडा,ऊन और मीट जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित करने तथा अन्य पशुधन सांख्यिकी के समन्वय का काम करता है। पशुधन उत्पादों का आकलन नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर पर किया जाता है जिसे "प्रमुख पशुधन उत्पादों के आकलन के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत वर्षभर किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 : 50 के आधार पर और संघ शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है ताकि वे सर्वेक्षण कर सकें। पशुधन उत्पादन का आकलन मौसमी तथा वार्षिक आधार पर किया जाता है जिसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा तैयार किए गए नमूना सर्वेक्षणों की संकलित वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है।

3.18.2 पशुपालन सांख्यिकी को सुचारू बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति "पशुपालन एवं डेयरी साख्यिकी के सुधार के लिए दिशानिर्देश देने संबंधी तकनीकी समिति " लंबे समय से काम कर रही है। यह समिति प्रमुख पशुधन उत्पादों के आकलन के लिए समेकित नमूना सर्वेक्षण संबंधी योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी करती है तथा दूध, अण्डा, ऊन तथा मीट के उत्पादन के आंकलन का अनुमोदन करती है। पशुधन उत्पादन तथा अन्य संबंधित सांख्यिकी के लिए आंकलनों को वार्षिक रूप से "मूल पशुपालन सांख्यिकी" में प्रकाशित करती है। वर्ष 2003-04 तक के पशुधन उत्पादों के आकलनों को 2004 के अंक में दिया गया है जिसे नवम्बर, 2004 में जारी किया गया है।

3.18.3 दसवीं योजना के दौरान इस योजना में दो नए घटक जोड़े गए हैं- एक नमूना सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ा विश्लेषण कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिक समाधान उपलब्ध कराने के लिए और दूसरा पशुपालन सांख्यिकी में अन्तराल को भरने के लिए विशेष अध्ययन करने के

लिए। सूचना प्रौद्योगिकी समाधान के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान दिया जाएगा तथा शेष राज्यों को 50:50 अनुदान दिया जाएगा।

3.19 पशुधन संगणना

3.19.1 पंचवर्षीय रूप से आयोजित पशुधन संगणना के आधार पर विभिन्न प्रजातियों की पशुधन संख्या का पता लगाया जाता है। वर्ष 1997 में आयोजित 16वीं पशुधन संगणना तक, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इस योजना का समन्वय कर रहा था। किन्तु, 17वीं संगणना के दौरान, यह काम पशुपालन एवं डेयरी विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था।

3.19.2 17वीं पशुधन संगणना सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा आयोजित की गई है। 28 राज्यों की रिपोर्टों तथा एक संघशासित प्रदेश की रिपोर्ट के साथ अखिल भारत की अनंतिम संगणना रिपोर्ट 19.01.2005 को जारी की गई थी।

3.19.3 वर्ष 2003-04 के दौरान, राज्यों/संघशासित प्रदेशों को 31.62 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2004-05 के दौरान, फरवरी, 2005 तक 68.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

अध्याय 4

डेयरी विकास

4.1 आठवीं योजना के दौरान भारतीय डेयरी उद्योग के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसने 69 मिलियन टन से भी अधिक दूध की वार्षिक वृद्धि प्राप्त कर ली है। वर्ष 2002-03 के दौरान भारत का दुग्ध उत्पादन 86.69 मिलियन टन होने का अनुमान तथा इसके वर्ष 2003-04 के दौरान 88.1 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच गया है। इससे इस उद्योग ने विश्व में न केवल प्रथम स्थान हासिल किया है बल्कि देश की बढ़ती आबादी के लिए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में सतत वृद्धि भी दर्शाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेयरी क्षेत्र करोड़ों गरीब परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण द्वितीय साधन है तथा उन करोड़ों लोगों के लिए रोजगार और आय जुटाने में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में लगभग 231 ग्राम प्रतिदिन की बढ़ोत्तरी भी हुई है परन्तु विश्व के प्रतिदिन औसतन 285 ग्राम की तुलना में यह बहुत ही कम है। भारत सरकार, दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होगी।

4.2 डेयरी क्षेत्र में विभाग के प्रयास गैर-ऑपरेशन फ्लड में डेयरी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका जोर दुग्ध और दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता उत्पादन करने के लिए राज्यों में सहकारिताओं की ढांचागत संरचना तैयार करना, बीमार डेयरी सहकारी संघों का पुनरुत्थान करना तथा मूलभूत सुविधाओं का सृजन करने पर है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग ने 2004-05 के दौरान डेयरी क्षेत्र में तीन योजनाएं कार्यान्वित की हैं। एक केन्द्रीय की क्षेत्र योजना नामतः डेयरी/कुक्कुट उद्यम, पूँजीगत निधि को भी 4 अक्टूबर, 2004 को हुई ईएफसी की बैठक में स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपनी गतिविधियों को जारी रख रहा है।

4.3 गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजनाएं (आईडीडीपी)

4.3.1 गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम को आठवीं योजना के दौरान शुरू किया गया था। यह स्कीम नौवीं योजना के दौरान जारी रही थी और केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 175 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से दसवीं योजना के दौरान चलाई जा रही है। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(1) दुधारू गोपशुओं का विकास;
(2) तकनीकी आदान सेवाएं प्रदान करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि;
(3) लागत प्रभावी तरीके से दूध की अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण तथा विपणन;
(4) दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना;
(5) अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाना;
(6) अपेक्षाकृत अधिक उपेक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, पौषणिक तथा आर्थिक दर्जे में सुधार।

4.3.2 योजना की शुरूआत से 292.19 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 23 राज्यों के 149 जिलों के लिए 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 31 दिसम्बर, 2003 तक योजना से लगभग 6.60 लाख

(अनन्तिम) किसानों के परिवार लाभान्वित हुए हैं जो लगभग 11,000 ग्राम्य स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों में संगठित हैं जो 30 सितम्बर, 2004 तक प्रतिदिन लगभग 5.82 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन कर चूँके हैं।

4.3.3 पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए दो प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर इस समय यह योजना पुनर्रचना की प्रक्रिया पर है। संशोधित योजना में ग्रामीण स्तर के सहकारिताओं को सुदृढ़ करने तथा बेंच मार्क सर्वेक्षण/समवर्ती मूल्यांकन इत्यादि के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे धनराशि जारी किया जाना परिकल्पित है।

4.4 सहकारिताओं को सहायता

4.4.1 "सहकारिताओं को सहायता" नामक योजना बीमार डेयरी सहकारी संघों को जिला स्तर पर तथा सहकारी परिसंघों को राज्य स्तर पर पुनर्जीवन देने पर विचार करती है।

4.4.2 विभाग ने 145.62 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र असम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडू तथा पश्चिम बंगाल में दुग्ध संघों के 24 पुर्नवास प्रस्तावों का अनुमोदन किया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में और भटींडा एवं पंजाब में संगरूर दुग्ध संघों में उनके कार्यनिष्पादन को देखते हुए तीन और पुनर्वास प्रस्ताव के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान अनुमोदन प्रदान किए गए थे। भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ 50: 50 के आधार पर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार के 72.81 करोड़ रुपए के शेयर में से 50 प्रतिशत, अर्थात् 59.20 करोड़ रुपए की राशि 30 नवम्बर, 2004 तक जारी की गई है।

4.5 दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश-1992

4.5.1 भारत सरकार ने 1991 में डेरी क्षेत्र का लाईसेंस समाप्त करने के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत 9.6.1992 को दुग्ध तथा दुग्ध आदेश(एमएमपीओ) 1992 लागू किया था। इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार प्रतिदिन 10,000 लीटर से अधिक दूध अथवा प्रतिवर्ष 500 मीटरी टन से अधिक ठोस दूध का कारोबार करने वाले किसी भी व्यक्ति/डेरी संयंत्र को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। इस आदेश का प्रमुख उद्देश्य आम जनता के हित में इच्छित गुणवत्ता के तरल दुग्ध की आपूति में वृद्धि और रखरखाव करना है और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा वितरण को विनियमित भी करना है।

4.5.2 डेरी क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की तेज गति को बनाने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर दुग्ध और दुग्ध आदेश 1992 में संशोधन किए हैं ताकि डेरी उद्यमों को सरल बनाने के लिए इसे अधिक उदार और उन्मुख बनाया जा सके। भारत सरकार ने मार्च,2002 में नई क्षमता को स्थापित करने संबंधी अवरोधों को दूर करने का निर्णय लिया था और मिल्क शेड की अवधारणा को समाप्त करने के लिए जबकि नोट किया गया है कि गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानदंडों को लागू करने के लिए पंजीकरण की जरूरत है। तदनुसार, भारत सरकार ने 26 मार्च, 2002 को सरकारी राजपत्र में संशोधन प्रस्ताव अधिसूचित किए थे। नए संशोधनों की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- ❑ मिल्क शेडों के आरक्षण और सहकारिताओं को वरीयता देने की संकल्पना।
- ❑ एमएमपीओ 92 के तहत पंजीकरण में अब स्वच्छता, स्वास्थ्यकर परिस्थिति,गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पहलू।
- ❑ डेयरी संयंत्रों के वार्षिक निरीक्षण के प्रावधान को अनिवार्य तथा लचीला बनाया गया।
- ❑ भारत सरकार, 1 अक्टूबर, 2003 को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश की पैरा 5(5) (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश की अनुसूची V में विनिर्दिष्ट स्वच्छता, स्वास्थ्यकर परिस्थिति, खाद्य सुरक्षा पहलुओं तथा अन्य शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध एवं

दुग्ध उत्पाद आदेश के अन्तर्गत इकाइयों की आवधिक निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एवं भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद और विभिन्न राज्यों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिसूचित करती हैं। इस प्रावधान के अन्तर्गत, इकाइयों को उपर्युक्त निरीक्षण एजेंसियों द्वारा वर्ष में एक बार अपने-अपने संयंत्र का निरीक्षण कराना होगा।

- ❑ डेयरी संयंत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4.5.3 केन्द्र और राज्य पंजीकरण प्राधिकरणों ने 31.03.2004 तक सहकारिताओं, निजी और सरकारी क्षेत्रों में 813.78 लाख लीटर प्रतिदिन की संयुक्त क्षमता के साथ 746 इकाइयों को पंजीकृत किया है। पहली बार, निरीक्षण एजेंसियों द्वारा इकाइयों का निरीक्षण किया गया है और 30 नवम्बर, 2004 तक 175 इकाइयों का निरीक्षण किया गया है।

4.6 गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना

4.6.1 विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। तथापि, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध संग्रहण तथा प्रसंस्करण में विद्यमान गुणवत्ता मानक में सुधार की आवश्यकता है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में संबंधित ज्ञान में कमी और ग्रामों में परवर्ती दुग्ध प्रशीतित सुविधा में कमी होने के कारण दुग्ध की माइक्रोबायलोजिकल गुणवत्ता घटिया है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भारतीय डेयरी उत्पादों का उत्पादन आवश्यक हो गया है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्यात संभावनाओं पर जोर देने के साथ-साथ बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वदेशी जनसंख्या को स्वच्छ दुग्ध उपलब्ध कराने के लिए भारतीय दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाया जाए।

4.6.2 इसे ध्यान में रखते हुए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने दसवीं योजना के दौरान 30.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ "गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना " नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को शुरू किया है। अक्टूबर, 2003 में अनुमोदित इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में ग्रामीण स्तर पर गुणवत्ता दूध के उत्पादन में सुधार लाना है। योजना के अन्तर्गत, बेहतर दूध दोहने की प्रक्रिया पर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। किसान सदस्यों को प्रशिक्षण, डिटर्जेंट, स्टील के बर्तन, विद्यमान प्रयोगशाला सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण इत्यादि जेसे विशिष्ट घटकों के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान के आधार पर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। थोक दुग्ध कूलरों के रूप में ग्रामीण स्तर पर दुग्ध प्रशीतन सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तपोषण की प्रक्रिया भारत सरकार तथा संबंधित डेयरी सहकारिता समिति/संघ के बीच 75:25 के हिस्सेदारी पर है।

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन

4.6.3 इस विभाग ने 2004-05 के दौरान, 150.32 लाख रुपए के कुल लागत से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश,

उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और नागालैंड राज्यों के लिए 12 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। इसमें से, केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 31 जनवरी, 2005 तक 748.28 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है।

4.7 डेयरी/कुक्कट उद्यम पूंजीगत निधि

4.7.1 असंगठित क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तनों को लाने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक डेयरी उद्यम पूंजीगत निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बैकयोग्य परियोजनाओं के माध्यम से योजनागत प्रस्ताव के तहत ग्रामीण लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी।

4.7.2. इसी प्रकार, कुक्कुट क्षेत्र में महत्वपूर्ण विभाजन अभी भी असंगठित है और यह छोटे फार्मों के रूप में दूर दराज के क्षेत्रों में फैला हुआ है जिसे उनकी क्षमता का दोहन करने के लिए अभी संगठित प्रयासों की जरूरत है। प्रशिक्षण और विपणन विभिन्न कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के पहलू में कमजोर कड़ी है। इन प्रतिबंधों के कारण कुक्कुट विकास विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी राज्यों में अभी भी प्रारम्भिक चरण में है। इन उपेक्षित क्षेत्रों को बढ़ावा देने और संगठित क्षेत्र के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने तथा प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह जरूरी समझा जाता है कि वित्तीय सहायता देने के लिए कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि का सृजन किया जाए जिससे ग्रामीण किसानों के बीच कुक्कुट पालन के लिए कम आदान प्रौद्योगिकी और पक्षियों की नई प्रजातियों को बढ़ावा मिलेगा।

4.7.3 10वीं योजना अवधि के दौरान 25.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इस योजना को नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित घटक पात्र होंगेः-

डेयरी क्षेत्र

- छोटे डेयरी फार्म स्थापित करना।
- दूध के लिए मशीन/दूध टेस्टर/थोक में कूलरों की खरीद इत्यादि।
- स्वदेशी दूध उत्पादों के उत्पादन के लिए डेयरी प्रसंस्करण उपरकणों की खरीद।
- कोल्ड चेन सहित डेयरी उत्पादों को लाने ले जाने की सुविधाओं की खरीद।
- दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादो के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को स्थापित करना।
- प्राइवेट पशुचिकित्सा क्लीनिक स्थापित करना।

कुक्कुट क्षेत्र

- कम आदान की प्रौद्योगिकी वाली पक्षियों के साथ-साथ बतख/टर्की/गुनिया फाउल/क्वैल/इमू/ओस्ट्रीच इत्यादि के लिए भी कुक्कुट प्रजनन फार्म स्थापित करना।
- आहार गोदाम, आहार मिल, आहार विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं को स्थापित करना।
- कुक्कुट उत्पादों का विपणन (विशेष यातायात वाहन, कूल रूप भंडारण सुविधाएं तथा पक्षियों को रखने के लिए शेड इत्यादि)।
- अण्डा वर्गीकरण, पैकेजिंग और निर्यात क्षमता के लिए भंडारण।
- खुदरा कुक्कुट सफाई करने के लिए यूनिट (प्रति दिन 300 पक्षी)।
- केन्द्रीय ग्रोअर यूनिट (प्रति बैच 12,500 पक्षियों और प्रतिवर्ष 4 बैच)।

4.7.4 सहायता की प्रक्रिया

- उद्यमियों का अंशदान 10%
- "शून्य" ब्याज पर परिक्रामी निधि से ऋण 50%
- कृषि कार्यकलापों के लिए लागू ब्याज पर बौक ऋण 40%

4.7.4.1 भारत सरकार नियमित/समय पर वापसी करने वाले लाभार्थियों के मामले में ही कृषि कार्यकलापों के लिए ब्याज घटक को 50% आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हाल ही में अनुमोदन प्रदान किया गया और 14.12.2004 को प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

4.8 गैर ऑपरेशन फ्लड(पूर्ण) तथा सहकारी आन्दोलन का समेकन

4.8.1 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा सहकारी आधार पर डेयरी तथा अन्य कृषि आधारित सहकारी उद्योगों के विकास के उद्देश्य से योजना तथा संगठित कार्यक्रमों को एक विस्तृत तथा राष्ट्रीय आधार पर बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

4.8.2 ऑपरेशन फ्लड जो एकक एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम है, ने 30 अप्रैल, 1996 को अपना तीसरा चरण पूरा किया। इस कार्यक्रम का मुख्य जोर पहले से प्राप्त लाभांशों को समेकित करना तथा भारत के डेयरी उद्योग के सतत विकास के लिए सहकारी ढांचे को सुदृढ़ करने पर था।

4.8.3 आपरेशन फ्लड के चरण-3 को पूरा करने के बाद निम्नतर स्तर पर सहकारिताओं को सुदृढ़ करने के लिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक कार्यक्रम क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। दिनांक 21 अगस्त, 1997 को भारत सरकार ने उक्त समझौते की स्वीकृति दे दी। इसके परिणामस्वरूप, सितम्बर,1997 से उपाय किए गए थे तथा 2003-2004 के दौरान यह जारी है।

4.8.4 परिप्रेक्ष्य योजना, 2010

4.8.4.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की परिप्रेक्ष्य योजना 2010,126 अभिज्ञात सहकारी दुग्ध संघों के परामर्श से विकसित की गई है। इसमें चार प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया गया है जो इस प्रकार हैं- सहकारिता व्यापार को सुदृढ़ बनाना, उत्पादकता को बढ़ाना, गुणवत्ता बनाए रखना और राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क बनाना। इस योजना का उद्देश्य उभरते हुए उदारीकृत व्यापारिक वातावरण में डेयरी सहकारिताओं के कार्य को व्यावसायिक रूप देना है।

4.8.4.2 चालू वित्तवर्ष के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपने परिप्रेक्ष्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहकारी दुग्ध संघों को वित्तीय समर्थन देता रहा। मार्च, 2004 तक, चरण-1 के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 923 करोड़ रुपए के निवेश परिव्यय से 87 सहकारी दुग्ध संधों की योजनाओं को अनुमोदित किया। इसमें से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विभिन्न परिप्रेक्ष्य योजना गतिविधियों के लिए 342 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं। उम्मीद है कि 2004-05 के अंत तक 400 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि जारी कर दी जाएगी।

4.8.5 सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण

4.8.5.1 गवर्नेंस, प्रबंधन तथा आर्थिक व्यवहार्यता जैसे पहलुओं में डेयरी सहकारिताओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का संस्थान सृजन कार्यक्रम देश भर के 76 सहकारी दुग्ध संघों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने वर्ष के दौरान दुग्ध संघों के कार्मिकों के लिए 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए ताकि ये ग्राम स्तरीय संस्थान सृजन कार्यक्रम सुविधाजनक बन सकें, अब तक, लगभग 150 संघ कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। संघ के फील्ड कार्मिकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ओडिओ-विजूअल उपकरण एवं प्रशिक्षण पुस्तिकाओं का भी विकास किया है। संस्थान निर्माण के लिए दूध संघों के बोर्ड के निदेशकों को शामिल करने और समझाने के लिए वर्ष के दौरान 105 बोर्ड सदस्यों ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया।

4.8.5.2 डीसीएस में महिला सदस्यों की संख्या वृद्धि करने और सहकारिताओं में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि (ईडब्ल्यूआईसी) के कार्यकलापों के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण, साक्षरता एवं गणना के संबंध में ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता लाने के साथ-साथ थ्रीफ्ट ग्रुप गठित करने और आय वृद्धि के लिए कार्यकलापों में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन मिली है। अब तक लगभग 6149 थ्रीफ्ट ग्रुप से अधिक महिला सदस्य है और 9.88 करोड़ रुपए की राशि एकत्र किए गए है। इसमें से 75 प्रतिशत राशि को सदस्यों द्वारा उधार लेने के लिए प्रयोग किए जा रहे है।

4.8.6 उत्पादकता अभिवृद्धि

4.8.6.1 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में पशु प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में गांवों में उपयुक्त सेवाएं देने और उन्हें विकसित करने के लिए डेयरी सहकारिताओं की सहायता करना जारी रखा जिसके

कारण डेयरी पशुओं की उत्पादकता में सुधार हुआ तथा किसानों की कुल आय में वृद्धि हुई।

4.8.7 पशु प्रजनन

4.8.7.1 नवम्बर, 2004 तक सहकारिताओं के आठ तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधन के अंतर्गत दो वीर्य उत्पादन स्टेशनों द्वारा लगभग 96 लाख हिमित वीर्य का उत्पादन किया गया। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत, सहकारिता दुग्ध संघों ने लगभग 29,885 गावों को कवर किया और अच्छी गुणवत्ता के आनुवंशिकी वस्तुओं का प्रयोग करते हुए लगभग 66.40 लाख कृत्रिम गर्भाधान करवाया।

4.8.7.2 विलुप्तप्राय तथा दुर्लभ गोपशु एवं भैंस प्रजातियों के संरक्षण के लिए परियोजना के अंतर्गत 60 साहीवाल तथा जाफरावादी भ्रूणों का क्रायो संरक्षण किया गया है। तीन गोपशु नस्लों - साहीवाल, रेड सिंधी तथा कृष्णा वेली - और तीन भैंस के नस्लों - टोडा, जाफरावादी तथा पंधारपुरी - को बिन एलीली जेनोटाइपिंग तकनीक के प्रयोग से मोलेक्यूलर स्तर पर वर्गीकृत किया गया है।

4.8.7.3 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने चालू वर्ष के दौरान गुजरात में कंकरेज तथा गिर गोपशु एवं जाफरावादी भैंस के लिए नस्ल विकास परियोजनाएं आरम्भ किए है। राजस्थान के बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में राथी नस्ल के गोपशु के विकास के लिए एक परियोजना चल रही है। इन सभी परियोजनाओं में, कुछ चूने हुए गांवों में उत्कृष्ट सांड माता की पहचान करने के लिए एक दूध रिकार्डिंग कार्यक्रम आरम्भ की गई है। उत्कृष्ट माताओं से जन्मे सांड बछड़ों को पालने और प्राकृतिक सेवाओं तथा वीर्य उत्पादन के लिए उनका वितरण करने के लिए प्रबंध किए गए है।

4.8.8 पशु पोषण और आहार प्रौद्योगिकी

4.8.8.1 वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा गोपशु आहार तथा कच्चे माल का लगभग 2200 नमूनों का और सहकारिता गोपशु आहार प्लांटों से खनिज मिश्रणों तथा खनिज लवणों के 2000 नमूनों का परीक्षण किया है। संबंधित एजेंसियों को दी गई, विश्लेषण परिणाम तथा गुणवत्ता सुधार के लिए सुझावों से उत्पाद गुणवत्ता में सुधार लाने में सहयोग मिला है।

4.8.8.2 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने बाईपास प्रोटीन आहार उत्पादित करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा प्रसंस्करण को मानकीकृत किया है। बड़ोदड़ा, इटोला में स्थापित पहली बाइपास प्लांट की सफलता से प्रोत्साहित होकर गोधरा, गुजरात तथा कोल्हापुर, महाराष्ट्र में अब दो बाइपास प्रोटीन प्लांट स्थापित किए जा रहे है।

4.8.8.3 किसानों की भागीदारी से, लगभग 40,000 क्विंटल शोरगम, मक्का, काऊपी, बाजरा, बर्सीम, ल्युसर्न तथा ओट के गुणवत्ता चारा बीजों का उत्पादन किया गया और आठ राज्यों के दुग्ध उत्पादकों को बेचा गया।

4.8.8.4 सात राज्यों में फिल्ड परीक्षण किए गए तथा विकसित एक कम्प्यूटर आधारित राशन बेलेंसिग कार्यक्रम को अब बड़ी मात्रा में कार्यान्वित किया जा रहा है। केरल में खनिज मेपिंग अध्ययन पूरा कर लिया गया है और महाराष्ट्र तथा पंजाब जैसे राज्यों में इसे शुरू किया गया है। वर्ष के दौरान, गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब में तीन और खनिज मिश्रण प्लांट स्थापित किए गए हैं जिससे ऐसे प्लांटों की संख्या 13 हो गए हैं।

4.8.9 पशु स्वास्थ्य

4.8.9.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्राथमिक सहायता कीड़ों को नष्ट करने तथा खुरपका और मुंहपका रोग, हैमोरेजिक, सेप्टीसेमिया, ब्लैक क्वार्टर तथा एंथ्रेक्स के विरूद्ध व्यापक टीकाकरण जैसे उपायों को क्रियान्वित करने के लिए सहकारी दुग्ध संघों को सुविधाजनक बनाकर पशुओं में एन्यूटिक, एपियूटिक रोगों की घटनाओं को कम करने के प्रयास करता रहा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने संघों के माध्यम से मैस्टिटिस नियंत्रण कार्यक्रम डेसोलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया। इस मैस्टिटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, सब-क्लीनिक मैस्टिटिस का पता लगाने के लिए एंटिसेप्टिक टीट स्प्रे और मेसट्रीप का नियमित इस्तेमाल करने को प्रोत्साहन दिया गया। केरल में खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सामुहिक टीकाकरण के प्रथम चरण को अक्टूबर, 2004 में आरम्भ किया गया था। इस परियोजना को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारत सरकार तथा केरल सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

4.8.10 प्रबंधन गुणवत्ता

4.8.10.1 वर्ष के दौरान लगभग 106 दुग्ध संघों के 11000 अधिक ग्राम स्तर सहकारिता समितियों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया गया था, जिससे संचयी कुल 26,328 है। इसके अतिरिक्त लगभग 176 थोक दुग्ध कूलर, 356 आटोमैटिक दुग्ध संचयन एकक तथा 2811 इलैक्ट्रोनिक वसा परीक्षक ग्राम स्तर सहकारिता समितियों में स्थापित तथा चालू किए गए।

4.8.10.2 ऊर्जा प्रकाशन कार्यक्रमों के जरिए संयंत्र दक्षता हासिल करने और संयंत्र सफाई तथा स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित कर संयंत्र संचालनों में सुधार लाने के प्रयास भी इस वर्ष जारी रहे। बिजली की बिलों में बचत करने के लिए कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में दुग्ध संधों के डेयरी संयंत्रों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियां चलाई गई हैं। कर्नाटक के हासन संघ के डेयरी प्लांट को 2004 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला हे। अब तक, 73 डेयरी तथा गोपशु आहार संयंत्रों को आईएसओ प्रमाणपत्र, 59 डेयरी संयंत्रों को एचएसीसीपी तथा 9 को पर्यावरण प्रबंधन प्रमाणपत्र प्राप्त है।

गुणवत्ता नियंत्रण

4.8.11 दुग्ध अधिप्राप्ति और विपणन

4.8.11.1 अप्रैल-नवम्बर, 2004 के दौरान औसत दुग्ध अधिप्राप्ति 188.87 लाख किलोग्राम प्रतिदिन थी। 2004-2005 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान गत वर्ष इसी अवधि में प्रतिदिन 148.76 मिलियन लीटर दूध की बिक्री की तुलना में प्रतिदिन लगभग 156.49 लाख लीटर दूध की औसत बिक्री की गई।

वास्तविक प्रगति

विषय वस्तु	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005*
संगठित समितियां (000)	100.56#	103.28#	108.57#	112.59#$
कृषक सदस्य (लाख) ~	110.50	114.90	119.90	121.20$
औसत ग्राम्य दूध अधिप्राप्ति (लाख किग्रा प्रतिदिन)	176.02	180.14	174.83	188.87@
तरल दुग्ध विपणन (लाख ली. प्रतिदिन)	134.23	137.34	148.76	156.49@

~ संचयी # पहले से स्थापित परंपरागत समितियां तथा तालुका संघ शामिल है।
* अनन्तिम $ सितम्बर, 2004 के संदर्भ में @ अप्रैल- नवम्बर 2004 तक

4.9 दिल्ली दुग्ध योजना

4.9.1 दिल्ली के नागरिकों को उपयुक्त दरों पर पौष्टिक दूध की आपूर्ति करने के साथ-साथ दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य को लेकर सन् 1959 में दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना की गई थी। इसने एक सम्बद्ध क्रियाकलाप के रूप में घी, टेबल बटर,पनीर, छाछ, फ्लेवर्ड मिल्क तथा दही जैसे दुग्ध उत्पादों का उत्पादन तथा बिक्री भी आरंभ की है। प्रारंभ में दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना 2.55 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रसंस्करण/ पैकिंग के लिए की गई थी। तथापि, शहर में दूध की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसे चरणों में बढ़ाकर 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के स्तर तक कर दिया गया है।

4.9.2 प्रबंधन

4.9.2.1 दिल्ली दुग्ध योजना का प्रमुख महाप्रबंधक होता है जिसे विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त है। महाप्रबंधक को उनके दायित्वों के निर्वहन में वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् उप महाप्रबंधक (प्रशासन), उप महाप्रबंधक (तकनीकी) और वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

4.9.2.2 एक प्रबंध समिति है जिसे भारत सरकार के विभाग के शक्तियां प्राप्त है। सिवाय पदों के सृजन के, हानियों को बट्टे खाते डालने के और मूल बजट प्रावधान के दस प्रतिशत से अधिक की निधियों का पुर्नसंमजन करने के मौजूदा प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के रूप में संयुक्त सचिव (डेयरी विकास), और निदेशक (वित्त) कृषि मंत्रालय, (पशुपालन और डेयरी विभाग)उपभोक्ताओं के दो प्रतिनिधि और महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना इसके सदस्य है।

4.9.3 दुग्ध खरीद

4.9.3.1 दिल्ली दुग्ध योजना मुख्यतः पड़ोसी राज्यों के राज्य डेयरी फेडरेशनों से कच्चा/ताजा दूध खरीद रही है और सहकारिता समितियों से भी यह कुछ मात्रा में दूध की खरीद करती है ताकि उनकी आपूर्ति को बढ़ाया जा सके।

4.9.3.2 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 2000-2001 से खरीदे गए दूध की कुल मात्रा नीचे दी गई है:-

(आंकड़े लाख कि0ग्रा0 में)

वर्ष	खरीदे गए दूध की कुल मात्रा	औसत/प्रतिदिन
2002-03	663.86	1.82
2003-04	756.87	2.07
2004-05	734.09	2.67

4.9.4 दुग्ध उत्पादन और वितरण

4.9.4.1 दिल्ली दुग्ध योजना निम्नलिखित किस्म के दूध को उसके सामने दिए गए बिक्री मूल्य पर प्रसंस्करित और आपूर्ति कर रही है:-

क्र. सं.	दूध की किस्म	वसा	एसएनएफ	दर/प्रति लीटर	से प्रभावी
1.	टोंड दूध (पाली पैक)	3.0%	8.5%	15.00 रुपए	16.07.2004
2.	टोंड दूध (खुला)	3.0%	8.5%	14.00 रुपए	16.07.2004
3.	डबल टोंड दूध	1.5%	9.0%	13.00 रुपए	16.07.2004
4.	फुल क्रीम दूध	6.0%	9.0%	19.00 रुपए	16.07.2004

4.9.4.2 दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादनों की बिक्री के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के समूचे शहर में 1470 बूथ और 249 पूर्ण दिवसीय दूध स्टाल है जो इस प्रकार है:-

(क) डी एम एस बूथों पर रियायत पाने वाले (सुबह 1009+ शाम 440)	1309
(ख) लूज मिल्क आउटलेट	169
(ग) दिल्ली दुग्ध योजना पूर्ण दिवसीय दूध स्टाल	234
(घ) पूर्ण दिवसीय दूध स्टाल (सरकारी भवन)	15

4.9.4.3 दूध बूथों को छात्रों, पूर्वसैनिकों, सेवा निवृत्त सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारियों, अपंग व्यक्तियों, विधवाओं, बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा देखा जाता है। दिल्ली दुग्ध योजना अस्पतालों, सरकारी कैंटीनों, होस्टलों तथा रक्षा यूनिटों आदि जैसे लगभग 144 संस्थानों को भी दूध की आपूर्ति करता है।

4.9.5 निष्पादन उपयोगिता

4.9.5.1 दिल्ली दुग्ध योजना इस समय प्रतिदिन लगभग 2.75 लाख लीटर दूध की बिक्री कर रहा है। डीएमएस बाजार में दूध की मांग के आधार पर दिल्ली दुग्ध योजना दूध की आपूर्ति कर रहा है। डीएमएस के पास अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता का लाभ उठाने के लिए, डीएमएस द्वारा मदर डेयरी, दिल्ली के लिए प्रतिदिन लगभग 75,000 लीटर दूध का पैकिंग किया जा रहा हे।

4.9.5.2 डीएमएस की बिक्री और मदर डेयरी दूध के लिए डीएमएस द्वारा पारम्परिक पैकिंग से यह 3.50 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुँच गया है जिससे डीएमएस संयंत्र की क्षमता उपयोगिता में वृद्धि हुई है। क्षमता उपयोगिता में वृद्धि के कारण, दूध के मूल्य में कमी आई है, जो निम्न प्रकार है:-

वर्ष	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत में)	दूध की बिक्री (लाख लीटर में)	परिवर्ती लागत	निर्धारित लागत	कुल लागत (प्रति लीटर)
2000-01	48.4	783.19	12.55	3.81	16.36
2001-02	47.6	752.74	12.31	4.29	16.60
2002-03	43.6	711.86	12.38	4.46	16.84
2003-04	54.6	923.53	13.85	3.11	16.96
2004-05 (अनुमानित)	70.0	1277.50	12.70	2.62	15.32

4.9.5.3 डीएमएस घी और टेबल बटर का भी उत्पादन तथा बिक्री कर रहा है। 2000-01 से घी और टेबल बटर का उत्पादन तथा बिक्री की जानकारी नीचे दशाई गई है:-

वर्ष	घी		टेबल बटर	
	उत्पादन	बिक्री*	उत्पादन	बिक्री*
2000-01	648.36	760.83	69.43	70.84
2001-02	718.02	666.94	83.70	86.96
2002-03	706.49	795.05	86.55	91.66
2003-04	452.35	290.60	74.02	53.63
2004-05 (दिसम्बर, 2004 तक)	322.66	468.49	10.10	37.73

टिप्पणी:- * बिक्री में पिछले वर्ष का स्टॉक भी शामिल है।

4.9.5.4 डीएमएस दिल्ली के नागरिकों को आपूर्ति करने के लिए योगर्ट (कप एवं कुल्हड़ों में), फ्लेबर्ड मिल्क (पाउच में), पनीर (200 ग्राम/1कि0ग्रा0 पैक में) तथा छाँच (200 मि0ग्रा0 पाउच में) का भी उत्पादन तथा विपणन कर रहा है। 2000-01 से उत्पादन किया गया फ्लेवर्ड मिल्क, योगर्ट, पनीर तथा छाँच की मात्रा नीचे दशाई गई है:-

वर्ष	फ्लेवर्ड मिल्क (200मि0ली0 पाउच में)		योगर्ट (100 ग्राम कप एवं कुल्हड़ों में)	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
2000-01	512	500	962	1130*
2001-02	892	879	1321	1300
2002-03	802	794	1320	1307
2003-04	703	698	1427	1418
2004-05(दिसम्बर, 2004 तक)	541	539	1039	1038

टिप्पणी:- * बिक्री में पिछले वर्ष का स्टॉक भी शामिल है।

वर्ष	पनीर (200ग्राम/1कि0ग्रा0 पैक में) (मीट्रिक टन में)		छाँच (200 मि0ली0 पाउच/ हजार संख्या में)	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
2001-02	16.71	16.53	-	-
2002-03	52.26	51.90	-	-
2003-04	55.02	54.96	103	102
2004-05 (दिसम्बर, 2004 तक)	43.76	43.66	138	135

टिप्पणी:- पनीर एवं छाँच का उत्पादन/बिक्री क्रमशः अक्टूबर, 2001 तथा 27 मई, 2003 से आरम्भ किया गया है।

4.9.6 वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

4.9.6.1 2003-2004 तथा 2004-2005 की दुग्ध अधिप्राप्ति, दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का उत्पादन/बिक्री से संबंधित लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दर्शाई गई हैं:-

क्र.सं.	योजना के प्रमुख घटक	2003-2004		2004-2005	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	दुग्ध की अधिप्राप्ति (लाख किलोग्राम)	819.31	756.87	967.79	734.09
2.	दूध की बिक्री (लाख लीटर में)	901.94	923.52	1277.50	922.08
3.	उत्पादन	700.00		370.00	
	(i) घी(मी.टन)		452.35	322.66	
	(ii) टेबल बटर(मी.टन)		74.02	10.10	

4.9.7 वित्तीय परिव्यय

4.9.7.1 कच्चे दूध,एस एम पी, बटर ऑयल, सफेद बटर आदि जैसे आदानों पर व्यय सहित सभी लेखों पर व्यय तथा पूंजीगत मदें, भारतीय संचित निधि से किया जाता है। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के बिक्री की रकम को सरकारी राजस्व के खाते में डाला जाता है। बजट प्राक्कलन तथा संशोधित प्राक्कलन में वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 तथा 2004-05 के लिए प्रदत्त/प्रस्तावित निधियां नीचे दर्शाई गई हैं:

शीर्ष/योजना	2003-04		2004-05		
	बजट प्राक्कलन (अनुमोदित)	व्यय	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय
I. गैर योजना	162.63	159.94	190.26	193.70	**145.87**
कुल	**162.63**	**159.94**	**190.26**	**193.70**	**145.87**
II. योजना					
(i) उपकरणें की खरीद/बूथों के निर्माण के लिए	0.26	0.25	0.60	3.10	0.60
(ii) सीपीडब्लयू के माध्यम से सिविल तथा इलैक्ट्रिक निर्माण कार्य का निष्पादन	0.74	0.40	0.40	0.40	0.39**
कुल	**1.00**	**0.65**	**1.00**	**3.50**	**0.99**

** सिविल तथा इलैक्ट्रिक निर्माण कार्यों के महत्वपूर्ण मदों को पूरा करने के लिए पीएओ, डीजीडब्ल्यू, सीपीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन को 0.39 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है।

4.9.8 उत्पादन की लागत तथा हानि

4.9.8.1 हानि होने के लिए मुख्य कारण निम्न प्रकार हैः

(i) कच्चा मान, पीओएल, पानी, बिजली तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं की लागत मूल्य में निरन्तर वृद्धि।

(ii) दूध की बिक्री मूल्य उत्पादन लागत से कम होना।

(iii) 2000-01 से 2003-04 के दौरान संयंत्र की कम क्षमता उपयोगिता।

(iv) संयंत्र तथा प्रसंस्करण तकनीकों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन नहीं होना।

4.9.9 डीएमएस के कार्यकरण/कुशलता में सुधार

4.9.9.1 गुणवत्ता नियंत्रण उपाय

4.9.9.1 गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों को सख्त किया गया है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले दूध की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों में मिश्रित न्यूट्रलायजरों अथवा सक्षारीय बेकार पदार्थों का शीघ्र जायजा/पहचान करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के संस्थापित उपकरण में एक सोडियम मीटर तत्काल लगा दिया गया है। दूध में संदूषक तथा गंदगी का पता लगाने के लिए एक गैस तरल क्रॉमेटो ग्राम भी स्थापित किया गया है।

4.9.10 दुग्ध विपणन

- रूके हुए क्षमता का उपयोग करने के लिए मदर डेयरी के लिए 80,000 लीटर दूध का पारम्परिक पैकिंग।
- डीएमएस दूध के बूथों का आधुनिकीकरण।
- दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को लाने-ले-जाने के लिए बाहरी स्रोत से वाहनों की व्यवस्था करना।
- दूध की बिक्री के संवर्धन के लिए वितरकों/डीलरों को नियुक्त करना।
- डीएमएस कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

4.9.11 डीएमएस की बिक्री में वृद्धि

डीएमएस संयंत्र में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण/पैकिंग करने की क्षमता है। 1.3.2000 से डीएमएस दूध का मूल्य वृद्धि होने से, दूध की बिक्री 4.5 लाख लीटर प्रतिदिन से कम होकर 2 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। अप्रैल, 2003 से दूध की बिक्री में वृद्धि हुई है और सितम्बर, 2004 से 2.71 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुँच गई है। मदर डेयरी के लिए दूध के पारम्परिक पैकिंग से चालू वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में डीएमएस को 147.46 लाख रुपए की आय हुई है। यह आशा की जा रही है कि मदर डेयरी के लिए पारम्परिक पैकिंग करने से वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान लगभग 2.00 करोड़ रुपए का कुल फायदा होगा।

4.9.12 डीएमएस के स्टाफ की संख्या में कमी

सरकारी मशीनरी में कमी करने तथा प्रशासनिक खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, डीएमएस द्वारा स्टाफ की संख्या को कम करने का निर्णय लिया गया हैः

श्रेणी	1.4.97 तक स्वीकृत स्टाफ की संख्या	31.3.2003 तक स्वीकृत स्टाफ की संख्या	31.3.2004 तक स्वीकृत स्टाफ की संख्या	31.12.2004 तक वास्तविक संख्या
क	29	25	25	15
ख	56	46	46	33
ग	1022	853	701	549
घ	1299	1222	1121	1011
कुल	**2406**	**2146**	**1893**	**1608**

4.9.13 बाहरी स्त्रोत से डीएमएस के लिए वाहनों की व्यवस्था

बजटीय कठिनाईयों के कारण तथा 15 वर्ष से पुराने वाहनों को सड़क पर नहीं चलाए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निदेश को देखते हुए, बाहरी स्त्रोतों से वाहन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इस समय, बाहर से 55 वाहन लिए गए हे। डीएमएस के लिए बाहरी स्त्रोत से वाहन लेने के कारण, कुशलता के साथ चालू वर्ष के दौरान 200 लाख रुपए की बचत भी होगी।

दुग्ध पैकेजिंग एकक

दिल्ली दुग्ध योजना

अध्याय-5

मात्स्यिकी

योजनाओं की विषय-वस्तु तथा प्रगति

5.1 प्रस्तावना

5.1.1 मात्स्यिकी क्षेत्र देश के सामाजिक आर्थिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी पहचान एक अत्यधिक आय तथा रोजगार सृजनकर्ता के रूप में की गई है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा अर्जन करने के अलावा अनेकों राज सहायता प्राप्त उद्योगों में वृद्धि करता है तथा सस्ते और पौषणिक आहार का साधन भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकांश लोगों के लिए एक जीविका का साधन है। देश में मात्स्यिकी विकास का सामना करने वाली मुख्य चुनौतियों में फिन तथा शैल मछली के मत्स्य पालन के लिए सतत प्रौद्योगिकियों का विकास, मछली की पैदावार में वृद्धि, हारवेस्ट तथ पोस्ट हारवेस्ट ऑपरेशन और मत्स्यन यानों के लिए मछली उतारने एवं रखने संबंधी सुविधाओं से संबंधित मात्स्यिकी संसाधनों तथा उसकी क्षमता का जायजा लेना है।

5.2 बलित क्षेत्र

5.2.1 मात्स्यिकी राज्य का विषय है इसलिए इसके विकास के प्रयास करने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। मात्स्यिकी विकास में मुख्य जोर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने, रोजगार सृजन करने और मछुआरों के कल्याण एवं उनके सामाजिक आर्थिक स्तरों में सुधार लाने पर दिया जाता है।

5.3 चालू योजनाएं

1. अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास।
2. समुद्री मात्स्यिकी, अंतःसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास।
3. मछुआरा कल्याण कार्यक्रम।
4. मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार।
5. डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण।
6. मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता।

- भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक तथा ताजा जल मछली उत्पादकों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
- 2003-04 के दौरान अनुमानित मत्स्य उत्पादन लगभग 63.99 लाख टन थी।
- 429 मछली पालन विकास एजेंसियां (एफएफडीए) को मंजूर किया गया था जिनमें सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी के सभी संभावित जिलों को शामिल किया गया था।
- 2003-04 तक एफ एफ डी ए के माध्यम से 6.49 लाख हे0 जल क्षेत्र को वैज्ञानिक मत्स्य पालन के तहत लाया गया।

  2003-04 के दौरान 34,123 मछली पालकों/मछुआरों को उन्नत अभ्यास में प्रशिक्षित किया गया तथा 46,782 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

5.4 अन्तर्देशीय मात्स्यिकी एवं जल कृषि का विकास

5.4.1 (1) ताजा जल जलकृषि का विकास तथा (2) एकीकृत तटवर्ती जलकृषि का विकास नामक चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को चार नए घटकों अर्थात् ठंडे पानी में मात्स्यिकी का विकास तथा पहाड़ी इलाकों में जलकृषि, जलकृषि के लिए अंतर्देशीय लवणीय/क्षारीय भूमि का उपयोग, अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी (जलाशयों/नदियों आदि) के साथ विलय कर दिया गया है तथा उसे

"अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं जलकृषि का विकास" के रूप मे पुनः नामित किया गया है।

5.4.2 ताजा जल जलकृषि का विकास

5.4.2.1 इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल कृषि में पूर्ण रूप से कार्यरत प्रशिक्षित एवं सुव्यवस्थित मछली पालकों के कैडर का सृजन करने के ख्याल से मत्स्य पालन को लोकप्रिय बनाना, रोजगार अवसरों का सृजन करना, जल कृषि व्यवसायों का विविधिकरण करना तथा मत्स्य पालकों को सहायता प्रदान करना है।

5.4.2.2 इस कार्यक्रम के तहत 429 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों का एक नेटवर्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें देश के सभी संभावित जिलों को शामिल किया गया है। अधिकांश मत्स्य पालक विकास एजेंसियों का संचालन जिला स्तर पर किया जाता है तथा कुछ एजेंसियों का संचालन क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर किया जाता है, जहाँ जिला स्तरीय संसाधन अपर्याप्त है।

5.4.2.3 अन्तर्देशीय मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए पोखरों के निर्माण, पोखरों एवं तालाबों का पुर्नरुद्धार/नवीकरण, प्रथम वर्षीय आदानों(मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, उर्वरकों, खादों आदि), एकीकृत मत्स्य पालन, बहते जल में मत्स्य पालन मत्स्य बीज हैचिरयों तथा मत्स्य बीज मिलों की स्थापना के लिए मत्स्य पालकों को राज सहायता के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।मछली की उत्पादकता में और वृद्धि करने के लिए एरेटरों की खरीद करने के उद्देश्य से प्रगतिशील मछली पालकों को सहायता भी प्रदान की जाती है।उक्त उल्लिखित क्रियाकलापों के लिए राज-सहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के मछली पालकों को ऊँची दरों पर दी जाती है। ताजा जल प्राउन बीज हैचरी, प्रयोगशाला, भू तथा जल निरीक्षण कीटों, सजावटी मछली के लिए एकीकृत एककों, पर्वतीय क्षेत्रों में बीज की ढुलाई के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। विकासात्मक गतिविधियों के मद में व्यय का शेयर भारत सरकार तथा राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर किया जा रहा है।

5.4.2.4 2002-03 के दौरान, जलकृषि के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र लगभग 25,394 हे. था। उन्नत व्यवसायों में प्रशिक्षित मछुआरों की संख्या लगभग 34,123 थी तथा मात्स्यिकी गतिविधियों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लगभग 46,782 व्यक्तियों को लाभ मिला है। 2004-05 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 40,000 हे. जल क्षेत्र तथा 27,000 मछुआरों को प्रशिक्षण कवर मे लेने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की संभावना है। वर्ष 2003-04 के दौरान मत्स्य पालन की उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने तथा एफ एफ डी ए के प्रयासों के कारण, कार्यक्रम के तहत शामिल पोखरों तथा तालाबों की राष्ट्रीय औसत उत्पादकता लगभग 2270 कि.ग्रा./हे./वार्षिक है। इस योजना के आरंभ होने के कारण 6.49 लाख हैक्टेयर जलक्षेत्र को मछली पालन के अंतर्गत लाने का काम किया गया है तथा 7.61 लाख मछली पालकों/मछुआरों को मत्स्य पालन के उन्नत व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 11.25 लाख लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया है।

5.4.3 खारा जल जल कृषि का विकास

5.4.3.1 लघु क्षेत्रों में झींगा पालकों को तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी तटवर्ती राज्यों तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप

समहों के संघ राज्य क्षेत्रों में 39 खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसयों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

5.4.3.2 उच्च टाईड लाईन से 500 मी0 रेगुलेशन जोन के भीतर गैर-परंपरागत झींगा पालन गतिविधियों के रोक (दिसम्बर, 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले) संबंधी कानूनी रुकावट के कारण योजना का प्रदर्शन धीमा रहा। मामला अभी न्यायाधीन है। फिर भी, झींगा पालन गतिविधियों को प्रचालित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सब पर्यावरण हितैषी तथा सतत तरीके से चलाई जा रही है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जलकृषि प्राधिकरण का गठन किया गया। दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 को राज्य सभा में "तटवर्ती जलकृषि विधेयक, 2004" पेश किया गया है।

5.4.4 वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में योजना की प्रगति

अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि के विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान 10.05 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई तथा वर्ष 2004-05 के दौरान 31 जनवरी, 2005 तक 14.74 करोड़ रुपए जारी किए गए।

5.5 समुद्री मात्स्यिकी, मूलभूत संरचना एवं पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन का विकास

5.5.1 समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए कार्यक्रम

5.5.1.1 पारंपरिक नौकाओं के मोटरीकरण, इंधन पर उत्पाद शुल्क की राजसहायता द्वारा लघु मशीनीकृत क्षेत्र को सहायता देने, सुरक्षित लैंडिंग के लिए मूलभूत ढांचों की स्थापना, बर्थिंग तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन इत्यादि जैसे कई केन्द्रीय क्षेत्रों तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा इस प्रकार पारंपरिक मछुआरों के सामाजिक आर्थिक हालात को सुधारने के लिए विभाग में पूरी योजना अवधि के दौरान समुद्री क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से वित्तीय सहायता जारी रखा गया है।

5.5.1.2 जीरो बेस्ड बजटिंग (जेड बी बी) एक्सरसाईज के आधार पर, तटीय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/लाभाथी समूहों से प्राप्त जनाकरी के आधार पर चालू योजनाओं को "समुद्री मात्स्यिकी, ढांचागत तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन का विकास" नामक व्यापक योजना के तहत लाया गया है। गहरे समुद्र में मात्स्यिकी संसाधनों के दोहन पर लक्ष्य केन्द्रित करते हुए क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संशोधित एकीकृत योजना मे नए घटकों (1) तटीय मात्स्यिकी का विकास (2) गहरे समुद्र में मात्स्यिकी का विकास(3) मूलभूत ढांचा का विकास (4) पोस्ट हार्वेस्ट संबंधी मूलभूत ढांचा का विकास को भी शामिल किया गया है।

5.5.1.3 यह योजना समुद्र मात्स्यिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा, निर्यात-अर्जन तथा तटीय जनसमुदायों के जीवनयापन व्यवस्था में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। वर्तमान योजना के तहत

विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन के अलावा अन्य विभागों के विकास संबंधी कार्यक्रमों के सहक्रिया द्वारा जहां कहीं भी संभव हो सके पहले से पहचान किए गए तटीय स्थनों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "ग्रोथ सेंटर" एप्रोच अपनाया जाएगा।

5.5.2 योजना का घटकवार ब्यौराः

5.5.2.1 तटीय मात्स्यिकी का विकास

5.5.2.1 (i) उन्नत डिजाईन के मध्यम आकार के नौकाओं की शुरुआत

3.9 मिलियन टन के अनुमानित क्षमतावान समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों में से, लगभग 2.9 मिलियन टन मौजूदा हार्वेस्ट है। देश में संसाधन मुख्यतः गहरे समुद्र में अथवा लघु स्तरीय मत्स्यन नावों की मत्स्यन क्षमता से बाहर होने के कारण अभी शेष एक मिलियन टन का दोहन नहीं हो पा रहा है। देश के ई ई जेड के मत्स्यन क्षमता का बुद्धिमत्तार्ण दोहन के लिए पर्याप्त संख्या में समुचित रूप से डिजाइन किए गए नौकाओं की आवश्यकता है। तदनुसार उपयुक्त डिजाईन तथा नए जेनरेशन की नौकाओं को हासिल करने के लिए मछुआरा समूह को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैक्रो योजना में एक नए घटक को जोड़ा गया है।

लगभग 18 मीटर की लंबांई वाले संसाधन विशिष्ट मत्स्यन जलयानों का मल्टी डे मध्यम वर्ग के इस घटक को 10% समान बैक एंडेड राजसहायता जिसके लिए अधिकतम 4.00 लाख रुपए सीमित रखा जाए प्रति यूनिट 40.00 लाख रुपए लागत कार्यान्वित किया जाना है। इस घटक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम(एन सी डी सी) द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

5.5.2.1 (ii)पारंपरिक जलयानों का मोटरीकरण

पारम्परिक जलयानों का मोटरीकरण मछुआरों के शारीरिक तनाव को कम करने और मुख्यतः फिश कैच आय में वृद्धि लाने के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनके मत्स्यन क्रियाकलापों की सीमा को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक मत्स्यन क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से यह उत्पादोन्मुखी योजना सातवीं योजना के दोरान शुरू की गई थी। इस योजना को इस संशोधन के साथ जारी रखा गया है कि मात्र 8-10 एच पी के ओ बी एम के लिए राजसहायता लाभ दी जाएगी। इस घटक के अंतर्गत 50 प्रतिशत ईंजन लागत राजसहायता के रूप में प्रति ओ बी एम क लिए अधिकतम 20,000 रुपए प्रदान किए गए हैं जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में ईंजन पर राजसहायता की पूर्ण लागत की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। सातवीं योजना से समुद्र तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अब तक 37,950 पारम्परिक जलयानों का मोटरीकरण किया जा चुका है।

5.5.2.1 (iii) एच एस डी ऑयल पर मछुआरा विकास संबंधी छूट

20 मीटर लम्बाई से छोटे मत्स्यन जलयानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे एच एस डी ऑयल पर केन्द्रीय सीमा शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना को 1990-91 में आरंभ किया गया था। उस समय में छोटे मशीनीकृत मछली पालकों/ऑपरेटरों को सहयोग देने के लिए इसे जारी रखा गया। इन जलयानों के कार्यकरण लागत में कमी लाने के लिए जिससे इन लोगों के मत्स्यन दिनों, फिश कैच और आय में वृद्धि करने मे इन्हें प्रोत्साहन दी जा सके। इस घटक के अंतर्गत एच एस डी ऑयल पर 1..50 रुपए प्रति लीटर के केन्द्रीय सीमा शुल्क लागत पर आर्थिक सहायता दी गई है, जिसे 80:20 के आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा वहन किया जाता है और एच

एस डी ऑयल पर सम्पूर्ण रूप से बिक्री कर छूट प्राप्त राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र द्वारा वहन किया जाना है।

5.5.2.1(iv) समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा

समुद्री मात्स्यिकी खतरनाक होने के कारण इसकी जोखिम एवं स्थायी अपंगता के अलावा मत्स्यन नौकाओं तथा उपकरणों की हानि से होती है। हाल के अध्ययन से यह पता चला है कि अधिकतम आपदा संबंधी घटनाएं घटिया उपकरणों वाले जलयान तथा जलयान बोर्ड पर आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण होता है। पता लगाने संबंधी पैकेज तथा संचार उपकरण प्रदान करके छोटे मशीनीकृत जलयानों को सुसज्जित करके इस मामले को हल करने पर विचार कर रहा है। इस घटक में 20 मीटर लंबाई से छोटे मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों पर एक वायरलेस सेट और जी पी एस स्थापित करने पर विचार किया गया है। इन मशीनों की युनिट लागत लगभग 1.50 लाख रुपए है, जिसमें से 20% पर 30,000 रुपए से अधिक नहीं, 10वीं योजना में लगभग 1,666 नौकाओं को लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन सी डी सी) के जरिए बैक एंडेड राजसहायता दी जाती है।

5.5.2.2 गहरे समुद्र में मात्स्यिकी का विकास

5.5.2.2 (i) संसाधन विशिष्ट गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयान

नवम्बर, 2002 के दौरान विभाग द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के आधार पर भारतीय अनन्य क्षेत्र मे भारतीय फ्लैग जलयानों को अनुमति देते हुए मार्च, 2004 तक 15 भारतीय कंपनियों को 48 संसाधन विशिष्ट जलयानों के लिए अनुमति पत्र (एल ओ पी) जारी किए गए। गहरे समुद्र के संसाधनों का दोहन करने के लिए एक संशोधित व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति को दिसम्बर, 2004 तक जारी किया गया है।

सरकार द्वारा प्रोत्साहित देश गहरे समुद्र में मात्स्यिकी क्षेत्र में पूर्व में शुरू की गई स्टर्न ट्रॉलरों/झींगा ट्रालरों का बेड़ा ज्ञात क्षेत्रों में झींगा पालन के चरमरा जाने के कारण फिलहाल कम उपयोग हो रहा है तथा मछली के लिए बॉटम ट्रोलिंग गैर-लाभकारी हो गया है। तथ्यों को नजर मे रखते हुए कि समुद्री टूना की भारी मात्रा एवं ई ई जेड में इससे जुड़ी प्रतियों का प्रायौगिक तौर पर दोहन नहीं हो सकता है तथा इन ट्रालरों को मोनो-फिलामेंट लांग लाइनिंग मे परिवर्तित करने को विद्यमान ट्रालर बेड़े के कम उपयोग तथा टूना संसाधनों की दोहरी चुनौती से निपटने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप माना जा रहा है। नए घटक के तहत तकनीकी अर्जन एवं वित्तीय प्रोत्साहन इस घटक के अंतर्गत कार्यक्रम में 10 विद्यमान झींगा ट्रालरों को संसाधन विशिष्ट गहरे समुद्र के लिए मात्स्यिकी जलयान में परिवर्तित करना परिकल्पित है जिसके लिए प्रति जलयान 15 लाख रुपए की बैक एंडेड राजसहायता प्रदान की जाती है। आई सी ए आर केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के जरिए आयातित प्रौद्योगिकी में उपयुक्त संशोधन करके पशुपालन एवं डेयरी विभाग का अधीनस्थ कार्यालय भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के जरिए इस घटक का कार्यान्वयन किया जाएगा। इस घटक के अंतर्गत, जलयान मानीटरिंग प्रणाली (वी एम एस) को आरंभ करना। आरंभ मे 50 गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों को कोस्ट गार्ड को शामिल करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा।

5.5.2.3 बुनियादी ढांचे का विकास

5.5.2.3(i) मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने वाले केन्द्रों को स्थापित करना

मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण कारक है जो समुद्री मछली उत्पादन में वृद्धि लाने और निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जन कराने में सहयोग देता है। मात्स्यिकी क्षेत्र की बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1964 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की गई जिसका उद्देश्य है सुरक्षित रूप से मछली उतारने और मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों, पारंपरिक मत्स्यन नौकाओं और गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों को ठहराने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। योजना के अंतर्गत उपलब्ध

कराए गए सुविधाओं में है मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने वाले केन्द्र जिसमें खारा जल, वार्फ, जेट्टी ड्रेजिंग, पुनरूद्धार, क्वे, नीलामी के लिए हाल, स्लीपवे, कार्यशाला, जाल मरम्मत करने के लिए शेड और अन्य सहायक सुविधाएं शामिल हैं।

5.5.2.3(ii) योजना की शुरूआत से, 6 बड़े मत्स्यन बंदरगाहों, 54 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और 188 मछली उतारने के केन्द्रों के कार्यान्वयन का कार्य आरंभ किया गया है। जिसमें से, 6 बड़े मत्स्यन बंदरगाहों; 38 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और 142 मछली उतारने वाले केन्द्रों का काम पूरा हो चुका है ओर इनमें काम किया जा रहा है। शेष 16 छोटे मत्स्यन बंदरगाह तथा 46 मछली उतारने के केन्द्र इस समय निर्माण कार्य के विभिन्न स्तरों पर हैं।

5.5.2.3(iii) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस योजना को "मत्स्यन बंदरगाह एवं मछली उतारने के केन्द्रों" के घटक के रूप मे मैक्रो प्रबंधन योजना के साथ मिला दिया गया है। इस घटक के क्रियान्वयन के लए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100.00 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। इस घटक के तहत (1) तटवर्ती राज्य सरकारों को 50% परियोजना मूल्य तथा छोटे मत्स्यन बंदरगाह तथा मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए केन्द्र शासित प्रदेशों को 100% (2) बड़े मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए तटीय राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों तथा पोर्ट ट्रस्ट तथा मछुआरा एसोसिएशन/संस्थाओं को 100% सहायता (3) प्रचालन एवं स्थानान्तरण (बीओटी) के आधार पर छोटे मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए 50% सहायता वाले विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को इस घटक के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस घटक के तहत नए मत्स्य बंदरगाहों/मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के अलावा, विद्यमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण का भी काम चल रहा है तथा विद्यमान मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों की मरम्मत तथा नवीनीकरण/आधुनिकीकरण के लिए तटवर्ती राज्य सरकारों तथा पोर्ट ट्रस्टों को 50% तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5.5.2.4 ड्रेजर टी एस डी सिंधुराज का रख-रखाव

5.5.2.4 (i) देश के तट क्षेत्रों में प्रचालित मत्स्यन जलयान के विभिन्न वर्ग के सुरक्षित लैंडिंग तथा जलयान ठहराने की सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तटवर्ती राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशें तथा पोर्ट ट्रस्टों की सहायता से केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत मत्स्यन बंदरगाह एवं मछली उतारने की सुविधाओं को विकसित किया गया है। प्राकृतिक क्रियाकलापों के कारण उतारने के केन्द्र के गाध निकालने की शर्त पर प्रत्येक मत्स्यन बंदरगाह/मछली उतारने के केन्द्र को काम करना होगा। गाध निकालने की दर किसी स्थान विशेष की स्थितियों तथा अन्य हैड्रौलिक पारामीटरों तथा व्याप्त तटीय क्रियाकलापों पर निर्भर करेगा। सुरक्षित नौकायान के लिए बंदरगाह/मछली उतारने के केन्द्रों के बेसिन को ठीक-ठाक रखने के लिए आवधिक रख-रखाव/ड्रेजिंग अति आवश्यक है। पहले से विद्यमान तथा भविष्य में विकसित किए जाने वाले मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के लिए नियमित रख-रखाव/ड्रेजिंग की आवश्यकता है।

5.5.2.4(ii) केन्द्रीय सहायता के तहत बनाए गए विद्यमान मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने वाले केन्द्रों द्वारा सामना की जा रही गाद की समस्याओं का हल करने के उद्देश्य से, 1248.00 मिलियन जापानी येन की जापानी अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत एक ट्रेलिंग सक्सन हापर ड्रेजर टी एस डी सिंधुराज की खरीद की है। कम पानी में ड्रेजिंग के लिए ड्रेजर टी एस डी सिंधुराज उपयुक्त है। 2.00 से 2.50 मीटर ड्राफ्ट और 200 क्यूबिक मीटर हापर क्षमता युक्त ड्रेजर की क्षमता से प्रति वर्ष लगभग 2.00 लाख क्यूबिक मीटर स्थिति युक्त समस्याओं को हटाया जा सकता है।

5.5.2.4(iii) पत्तन विभाग, केरल सरकार के माध्यम से ड्रेजर का प्रचालन एवं रख-रखाव किया गयी जिसके लिए रख-रखाव तथा बीमा आदि का खर्च केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा, विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को सी एस एस के तहत विद्यमान मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली

उतारने के केन्द्रों पर ड्रेजिंग/गाध निकालने के खर्च का 50% केन्द्रीय सहायता प्रदान किया जाता है। केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में रख-रखाव, ड्रेजिंग का खर्च संघ सरकार वहन करती है।

5.5.2.5 पोस्ट हार्वेस्ट बुनियादी सुविधाओं का विकास

5.5.2.5(i) मछली पालकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान करने तथा ग्राहकों को उचित मूल्य पर ताजी मछलियां उपलब्ध कराने के लिए सुविधा सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 1992-93 में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के तहत, राज्य मात्स्यिकी सहकारिता, सहकारी संघ तथा प्राथमिक सहकारिता को मछली हैंडलिंग सेडों, हिम संयंत्रों, कोल्ड स्टोरेज, खुदरा परिव्यय आदि के अनुरूप अपने विपणन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 1996-97 तक 19 राज्यों को 41 विपणन एकक मंजूर किए गए। 8वीं योजना मे स्वीकृत एककों को पूरा करने के लिए संतुलित केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को नौवीं योजना में भी जारी रखा गया। तथापि पोस्ट हार्वेस्ट बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए तथा पोस्ट हार्वेस्ट हानि को आदर्श विपणन से कम करने के लिए 10वीं योजना के दौरान इस योजना को मैक्रो योजना के एक घटक के रूप में जारी रखा गया है।

5.5.2.5(ii) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस घटक के अंतर्गत दो उप घटक हैं यानि (1) मत्स्य संरक्षण तथा भंडारण बुनियादी सुविधाओं का विकास और (2) खुदरा बिक्री के लिए खोका, मछली की दुकान, इंसुलेटेड/ प्रशीतन वाहन, आईस बॉक्स, मछली प्रदर्शन के लिए केबिनेट, कूलर इत्यादि जैसे विपणन बुनियादी ढांचे का विकास। इस कार्यक्रम को स्थान विशिष्ट तरीके से मछुआरिनों के स्व-सहायता वर्गों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, संयुक्त क्षेत्रों, सरकारी उपक्रमों, निगमों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस घटक के अंतर्गत वित्त पोषण प्रक्रिया इस प्रकार है (1) सरकारी उपक्रमों/निगमों/संघों को 100% अनुदान (1.00 करोड़ तक सीमित); (2) गैर सरकारी संगठनों/सहकारिताओं/ संयुक्त क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों के मछुआरिनों के समुदाय के लिए 75% अनुदान (0.75 करोड़ तक सीमित) और सामान्य क्षेत्रों में 50% अनुदान (0.50 करोड़ रुपए तक सीमित); तथा (3) पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पर्वतीय/ जनजातीय क्षेत्रों को 50% अनुदान (0.40 करोड़ रुपए तक सीमित) तथा सामान्य क्षेत्रों के लिए 25% अनुदान (0.25 करोड़ रुपए तक सीमित)।

5.5.2.6 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान योजना की प्रगति

समुद्री मात्स्यिकी, अन्तःसंरचनात्मक तथा पोस्ट हार्वेस्ट, संचालन के विकास के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को 2003-04 के दौरान 7.95 करोड़ की राशि तथा 31 जनवरी, 2005 तक 31.88 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

5.6 मछुआरों के लिए कल्याण कार्यक्रम

5.6.1 इस योजना के निम्नलिखित 3 घटक हैं-

i) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास
ii) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुघर्टना बीमा योजना
iii) बचत एवं राहत योजना

5.6.1.1 आदर्श मछुआरा गांवों का विकास

इस घटक का उद्देश्य मछुआरों के गांवों में आवास, पेय जल तथा सामुदायिक हॉल का निर्माण जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। एक मछुआरा गाँव में कम से कम 10 घर होने चाहिए। प्रत्येक 20 घर के लिए एक ट्यूबवेल की दर से गाँव में ट्यूवेलों को प्रदान किया जाएगा। मनोरंजन एवं सामान्य कार्यस्थल के रूप में, एक समुदाय भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक मछुआरा गाँव में कम से कम 75 घर अनिवार्य है। योजना के तहत यूनिट लागत घरों के लिए 40,000 रु., ट्यूबवेलों के लिए 30,000 रु., (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 35,000 रु.) तथा समुदाय भवन के लिए 1,75,000 रु. के रूप में है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच व्यय की हिस्सेदारी समान रूप

से की जाती है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में व्यय केन्द्र द्वारा पूरा-पूरा वहन किया जाता है।

5.6.1.2 सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना

इस घटक का उद्देश्य मछली पकड़ने में लगे सक्रिय मछुआरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।ऐसे सक्रिय मछुआरों की मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की स्थिति में एक वर्ष के लिए 50,000 रु. तथा आंशिक अपंगता के लिए 25,000 रु. का बीमा किया जाता है। बीमा प्रीमियम की ऊपरी सीमा 15 रु. प्रति वर्ष है। वार्षिक प्रीमियम की 50 प्रतिशत की अनुदान सहायता केन्द्र द्वारा तथा बाकी 50 प्रतिशत की सहायता राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।फिश कॉपफेड के माध्यम से भाग लेने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में एकल नीति शुरू की गई है।

5.6.1.3 बचत सह राहत योजना

इस घटक का उद्देश्य मछली पकड़ने की दृष्टि से खराब मौसम में समुद्री मछुआरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।इस घटक के तहत, मछली बहुलता के महीनों के दौरान लाभार्थी मछुआरे अपने उपार्जन के एक हिस्से का अंशदान करते हैं। समुद्री मछुआरों के लिए 8 महीनों के लिए अंशदान 75 रु. प्रति माह है तथा अंतर्देशीय मछुआरों के उद्देश्य से 9 महीनों के लिए 50 रु. प्रति माह है।यह अंशदान केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है तथा जमा की गई राशि को 300 रु. प्रति माह की दर से चार/तीन समान किस्तों में समुद्री/अन्तर्देशीय मछुआरों में बांट दिया जाता है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में, उनका मैचिंग शेयर केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

5.6.2 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान योजना की प्रगति

5.6.2.1 वित्तीय वर्ष 2003-4 के दौरान बचत-सह-राहत योजना के तहत लगभग 4.14 लाख मछुआरों को कवर करने, 10172 घरों के निर्माण तथा समूह दुर्घटना बीमा घटक के तहत 10.54 लाख मछुआरों को कवर करने के लिए 18.84 करोड़ रुपए की राशि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों/फिशकापफेड को जारी की गई।

5.6.2.2 वर्ष 2004-05 के दौरान, लगभग 2.28 लाख मछुआरों को बचत-सह-राहत योजना के तहत कवर करने, उनके लिए 11000 से भी अधिक घरों के निर्माण तथा सामूहिक दुर्घटना बीमा के तहत 10.92 लाख मछुआरों को कवर करने के लिए 31 जनवरी, 2005 तक 19.68 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

5.7 मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार

5.7.1 इस योजना का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है जिससे कि मात्स्यिकी विस्तार कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाने में सहायता दी जा सके। यह योजना मछुआरों को उनकी योग्यता में सुधार लाने के लिए भी सहायता प्रदान करती है।प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह योजना राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित/उन्नयन करने के लिए सहायता करती है। वर्ष 1999-00 से यह योजना राज्यों के मामले में 80 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता तथा संघ शासित प्रदेशों के मामले में 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के साथ चलाई जा रही है।योजना के अन्य घटक इस प्रकार हैं- मत्स्य उत्पादन तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों में लगे प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में विस्तार सामग्री प्रदान करने की दृष्टि से मैनुअलों को प्रकाशित करना; प्रौद्योगिकियों पर वीडियों फिल्म तैयार करना और इसका प्रचार करना; बैठकों/कार्यशालाओं/सेमिनारों आदि का आयोजन करना है।

5.8. 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान योजना की प्रगति

5.8.1 2003-04 के दौरान, 2690 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, 4 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन, 1 जागरण केन्द्र की स्थापना, 4 प्रशिक्षण/विस्तार मैनुअल को तैयार करने, 2 हैंडबुकों के प्रकाशन, 1 वृतचित्र

बनाने तथा 9 कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजित करने के लिए विभिन्न राज्य/संगठनों को 0.92 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.8.2 वर्ष 2004-05 के दौरान, 2600 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, 1 प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना/उन्नयन, 2 जागृति केन्द्रों, 5 प्रशिक्षण/विस्तार मैनुअलों की तैयारी, 2 हैंडबुकों के प्रकाशन, एक वृतचित्र बनाने तथा 13 कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजित करने के लिए विभिन्न राज्य/संगठनों को 31 जनवरी, 2005 तक 0.81 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.9 मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण

अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी का विकास नामक पहले की योजना में संशोधन कर दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्किंग के सुदृढ़ीकरण पर शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता योजना को 24.50 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से दिसम्बर, 2003 मे आरंभ की गई है। इस नई योजना के सात घटक निम्न प्रकार हैः-

- अंतर्देशीय मात्स्यिकी का कैच जायजा सर्वेक्षण
- सूचना प्रौद्योगिकी नेटवकिंग
- उपग्रह डाटा का प्रयोग करके भौगोलिक सूचना पद्धति का विकास,
- अंतर्देशीय मात्स्यिकी की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर संगणना,
- समुद्री मात्स्यिकी की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर संगणना,
- समुद्री मात्स्यिकी पर कैच जायजा सर्वेक्षण, और
- केन्द्र में मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण।

5.9.1.1 अंतर्देशीय मात्स्यिकी पर कैच जायजा सर्वेक्षण

मात्स्यिकी से संबंधित आँकड़ें एकत्र करके और उनसे संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए परिकल्पना, अर्थ और प्रक्रिया के मानकीकरण के उत्तरदायित्व के साथ इस घटक को केन्द्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), आईसीएआर, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल को सौंपा गया है। पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण और डाटा विश्लेषण पर कार्य सीआईएफआरआई द्वारा किया जा रहा हे। राज्यों के साथ समन्वय से सीआईएफआरआई द्वारा आयोजित सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाए और पशुपालन और डेयरी विभाग मुख्यालय को नियमित प्रस्तुत की जाय। राज्यों द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों के आधार पर, योजना के अन्तर्गत गठित तकनीकी समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सीआईएफआरआई अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन की तिमाही अनुमान निकालने के लिए सभी राज्यों/संध शासित प्रदेशों से समन्वय बनाए रखेगा और पशुपालन और डेयरी विभाग मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।

सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार के कर्मचारयों को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सी आई एफ आर आई ने पहले ही एक प्रक्रिया विकसित कर ली है।

5.9.1.2 सूचना प्रौद्योगिकीः

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी घटक के तहत राज्य सरकारों, केन्द्रशासित प्रदेशों/सीआईएफआर आई/डी ए एच एंड डी मुख्यालय, भारतीय मात्स्यिकी सांख्यिकी, मुम्बई द्वारा उपकरण प्राप्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीद की लिए 19 राज्यों को अब तक राशि जारी की जा चुकी है।

5.9.1.3 भौगोलिक सूचना व्यवस्था का विकासः

जी आई एस के विकास के घटक को सीआईएफआरआई को सौंप दिया गया है। एनआरएस से मानसून पश्चात अवधि के लिए उपग्रह चित्र आईआरएस-आई डी से प्राप्त होंगे। जल निकायों के रूप और आकार के मूल्यांकन के लिए उनका आंकलन प्रयोगशाला में किया जाएगा। परिणामों को सत्यापित करने के लिए स्थानों के 10 प्रतिशत की जमीनी सच्चाई पता करने के पश्चात 0.5 हैक्टेयर तथापि इससे अधिक

वाले जलक्षेत्रों का पता लगाया जाएगा, चित्रांकित एवं रिपोर्ट में सूचित किया जाएगा। निकट भविष्य की योजनाओं एवं विकास के लिए संभावित क्षेत्रों को विशिष्ट रूप से नक्शे में दर्शाया जाएगा। भू-संदर्भित मात्स्यिकी डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी तथा सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं के लिए लिंक एवं नेटवर्क कर दिया जाएगा।

5.9.1.4 अंतर्देशीय मात्स्यिकी संगणनाः

अंतर्देशीय मात्स्यिकी संगणना करने संबंधी घटक को सी आई एफ आर आई को सौंप दिया गया है। आंकड़े एकत्र करने का कार्यक्रम एवं प्रक्रिया, निर्देश एवं विज्ञापन सामग्रियों की रूप रेखा सी आई एफ आर आई तैयार करेगा।

5.9.1.5 समुद्री मात्स्यिकी संबंधी संगणना

दस राज्यों में समुद्री संगणना करने संबंधी घटक को केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) को सौंप दिया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में गणना करने के क्रम में भारतीय मात्स्यिकी सांख्यिकी, मुम्बई की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 200-06 में डाटा एकत्र किया जाएगा।

5.9.1.6 समुद्री मात्स्यिकी पर कैच जायजा संबंधी सर्वेक्षण

समुद्री मात्स्यिकी के कैच जायजा संबंधी सर्वेक्षण को कारगर बनाने के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), मंत्रालय एवं राज्य मात्स्यिकी विभागों के बीच कड़ी का काम करता है। क्षेत्रीय मूल्यांकनों को संविदा आधार पर नियुक्त करके समुद्री राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों के बाजारों से प्रजातियों, गीयर एवं विपणन अध्ययनों के पहलुओं पर विशेष बल देते हुए आंकड़े एकत्र करने का काम एफएसआई को सौंप दिया गया है। एफएसआई को राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों तथा सीएमएफआरआई द्वारा एकत्र आंकड़ों का समाधान करना चाहिए तथा एफएसआई द्वारा चलाए जाने वाले कैच जायजा संबंधी सर्वेक्षण के संबंध में वैज्ञानिक तथा तकनीकी दिशा-निर्देश के लिए सीएमएफआरआई से संपर्क किया जाना चाहिए।

5.9.1.7 केन्द्र में मुख्यालय को सुदृढ़ करना

आंकड़ों के अंतराल की समीक्षा और पहचान करने तथा योजना में सुधार करने के लिए सिफारिश करने के उद्देश्य से एक तकनीकी निगरानी समिति गठित की गई हे जिसमें सी एस ओ, एन एस एस ओ, सी आई एफ आर आई, सी एम एफ आर आई, आई ए एस आर आई, आई एस आई, एफ एस आई जैसे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि तथा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के निदेशक(मात्स्यिकी) शामिल होंगे। योजना की प्रगति की समीक्षा हर वर्ष कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित करके की जाती हैं।

5.9.2 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान योजना की प्रगति

इस योजना के तहत 2003-04 के दौरान 1.38 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी तथा 2004-05 के दौरान 31 जनवरी, 2005 तक 4.34 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.10 मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता

5.10.1 केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोची(सिफनेट)

केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोची(सिफनेट) की स्थापना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने कोचीन में राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मात्स्यिकी प्रशिक्षण प्रणाली आयोजित करने के लिए 1963 में की थी। उसके बाद चेन्नई और विशाखापट्टनम में इस संस्था की दो और यूनिटें स्थापित की गई थीं। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य मात्स्यिकी यानों के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों को

तथा तटीय प्रतिष्ठानों के लिए तकनीशियनों को उपलब्ध कराना है।

5.10.1.2 मेट फिशिंग वैसल कोर्स तथा इंजन ड्राइवर फिशिंग वैसल कोर्स नामक 18-18 महीने के दो नियमित पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनकी कुल क्षमता 200 प्रशिक्षार्थी है। उक्त मुख्य पाठ्यक्रमों के अलावा, इन सभी केन्द्रों पर विभिन्न अल्पकालिक/सहायक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। संस्थान के पास 3 मात्स्यिकी प्रशिक्षण यान हैं जिनका इस्तेमाल ऑन बोर्ड प्रेक्टिकल प्रशिक्षण देने तथा संस्थागत प्रशिक्षण के बाद की अर्हक समुद्री सेवा उपलब्ध कराने के लिए की जाती है।

5.10.1.3 2003-04 और 2004-05 के दौरान (अक्तूबर, 2004 तक) इन दो प्रमुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में क्रमशः 181 और 152 लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। इसके अलावा, 2002-03 तथा 2003-04 (अक्तूबर, 2004 तक) मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी, गियर प्रौद्योगिकी आदि में प्रायोजित/विभागीय उम्मीदवारों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्रमशः 833 और 623 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।

5.10.1.4 2003-04 और 2004-05 (31 जनवरी, 2005 तक) क्रमशः 1.27 करोड़ रुपए और 0.61 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था।

5.10.2 एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना, कोची

5.10.2.1 इस परियोजना में मछलियों की गैर-परंपरागत किस्मों का प्रसंस्करण करने, उन्हें लोकप्रिय बनाने तथा जांच करके उनका विपणन करने पर विचार किया गया है। इस परियोजना में एक मत्स्यन जलयान, एक सुसज्जित समुद्री कार्यशाला तथा 250 टन के पोतों को खिसकाने के लिए एक फिसलन पट्टी, बर्फ एवं प्रशीतन संयंत्र,1 आधुनिक प्रसंस्करण यूनिट शामिल है।यह विभिन्न पाठ्यक्रमों में संस्थागत प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।कोच्ची स्थित मुख्यालय के अलावा, परियोजना का विशाखापत्तनम में भी केन्द्र है। वर्ष 2003-04/2004-05 (28 फरवरी, 2005 तक) के दौरान 57.64 टन/88.19 टन मछलियों का प्रसंस्करण तथा 52.24 टन/86.74 टन मछली का विपणन किया गया। शिप रिपेअर यार्ड ने 2003-04/2004-05 (28 फरवरी, 2005 तक) 901 टन/223 टन अनुमानित क्षमता वाले 11/4 जहाजों को समायोजित करने तथा 35/6 इंफ्लेटेबल जीवन रक्षकों की सेवा प्रदान करने की आशा की जा सकती है। परियोजना ने वर्ष 2003-04/ 2004-05(28 फरवरी, 2005 तक) के दौरान वह विभिन्न क्षेत्रों में क्रमशः कुल लगभग 1134/731 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है ।

5.10.3 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण

5.10.3.1 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, भारतीय ई ई जैड के समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है। इस संस्थान के पश्चिमी तट के साथ-साथ पोरबंदर, मुम्बई, मारमुगांव तथा कोच्ची,पूर्वी तट के साथ-साथ चेन्नई तथा विशाखापत्तनम और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर में 7 ऑपरेशन बेस है। महासागर में जाने वाले कुल 13 संरक्षण जलयानों को मात्स्यिकी संसाधन संरक्षण तथा निगरानी के लिए तैनात किया जाता है। संसाधन सर्वेक्षण के अलावा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के कार्य में विनियम तथा प्रबंधन के उद्देश्य से मात्स्यिकी संसाधनों को मनीटर करना, गहरे समुद्र एवं महासागरीय मत्स्यन के लिए विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट एवं गीअर की उपयुक्तता का जायजा लेना, सीफनेट/पालीटेकनिक प्रशिक्षुओं को इन वेसल प्रशिक्षण प्रदान करना, मत्स्यन

मत्स्य उत्पाद

समुदाय को विभिन्न मीडिया के माध्यम से मात्स्यिकी संसाधनों पर जानकारी का प्रचार-प्रसार, उद्योग, अन्य उपयोगकर्ताओं आदि भी शामिल हैं। संस्थान का सर्वेक्षण पोत बाटम ट्राल सर्वेक्षण, मिड वाटर/कालमनर संसाधन सर्वेक्षण तथा डीमर्सल, कालमनर तथा महासागरीय टूना एवं सहायक संसाधनों और महासागरीय शार्कों के लिए भी लाँगलाइन सर्वेक्षण का कार्य करता है।

5.10.3.2 2003-04 के दौरान, सर्वेक्षण जलयानें 2055 दिवसों के लिए समुद्र में गए थे तथा 1456 दिवसों तक वास्तविक मत्स्यन कार्य किया गया था जिसके परिणामसवरूप 4457 घंटों तथा 120494 हूकों के वास्तविक मत्स्यन प्रयास किए गए। मात्स्यिकी संसाधनों पर जानकारी को तेजी से प्रसार-प्रचार तथा डाटा संकलन का सुदृढ़ीकरण के लिए, संस्थान में क्रमशः गोवा, कोची, मुम्बई तथा चेन्नई स्थित चार कार्यशालाओं का संचालन किया गया।

5.10.3.2 2004-05 (31 जनवरी, 2005 तक) के दौरान सर्वेक्षण जलयानें 1888 दिवसों के लिए समुद्र में गए थे तथा 1405 दिवसों का वास्तविक मत्स्यन कार्य किया था जिसके परिणामस्वरूप 4788 घंटों तथा 95125 हुकों के वास्तविक मत्स्यन प्रयास किए गए।

5.10.3.4 संस्थान में 21 फरवरी,. 2005 तक दो अप्रयुक्त जलयानों के प्रतिस्थापन में दो मोनोफिलामेंट लाँग लाइनरों को प्राप्त करने कर लिया है। आन बोर्ड वैज्ञानिक कार्य सम्पन्न करने के लिए इन जलयानों को सुविधाएं प्रदान की गई हैं। महासागरीय टूना संसाधनों का सर्वेक्षण करने के अलावा मछुआरों को मोनोफिलामेंट मत्स्यन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए इसका उपयोग भी किया जाएगा।

5.10.4 केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर

5.10.4.1 1968 में बंगलौर में स्थापित इस संस्थान का उद्देश्य मत्स्यन बंदरगाह तथा खारा जल फार्मों के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिक अध्ययन आयोजित करना है। संस्थान कृषि मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत संस्वीकृत चालू मात्स्यिकी बंदरगाहों के निर्माण की प्रगति का निगरानी करता है तथा परियोजनाओं के शीघ् क्रियान्वयन में समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान करता है। संस्थान तटवर्ती राज्य सरकारों को उनके द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में सहायता भी करता है। अगस्त, 2003 के दौरान संस्थान को जलाहाली स्थित एच एम टी परिसर में स्थित नए भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है। संस्थान द्वारा किए गए कुछ क्रियाकलापें निम्नलिखित हैं:-

(1) मत्स्यन बंदरगाह के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान तथा उनका सर्वेक्षण करना।

(2) प्राथमिक निर्माण योजनाओं तथा विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करना।

(3) इंजीनियरी तथा आर्थिक अन्वेषण

(4) खारा जल झींगा फार्मों के लिए परियोजना व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार करना तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण

5.10.4.2 2003-2004 की अवधि के दौरान, संस्थान में गुजरात के बदेली जगाला तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यनम स्थित मात्स्यिकी बंदरगाहों के विकास के लिए तकनीकी खोज की गई है तथा उसमें उड़ीसा के बहबलपुर महाराष्ट्र के देवगढ़ स्थित मत्स्यन बंदरगाहों के विकास के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। संस्थान ने गुजरात स्थित धोलई तथा ओखा से संबंधित संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है तथा उसे प्रस्तुत कर दिया है । संस्थान ने केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में मत्स्यन बंदरगाह तथा मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण की प्रगति को मॉनीटर किया है। संस्थान में गुजरात, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यनम तथा तमिल नाडू में मत्स्यन बंदरगाह/मछली उतारने वाले केन्द्रों संबंध स्थलों का मत्स्यन बंदरगाहों के रूप में विकसित करने के लिए उनकी उपयुक्तता का जायजा लेने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण भी किया गया।

संस्थान ने मत्स्यन बंदरगाह तथा मछली उतारने के केन्द्रों के विकास के लिए तमिलनाडु, केरल एवं गुजरात राज्यों से संबंधित मास्टर प्लान भी प्रस्तुत कर दिया है।

5.10.4.3 वर्ष 2004-05 (31 अक्टूबर, 2004 तक) संस्थान ने कर्नाटक के होमावर के चरण-II मत्स्यन बंदरगाहों के विकास के लिए इंजीनियरी तथा आर्थिक पड़ताल की है तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी स्थित माहे, आन्ध्र प्रदेश स्थित बियापुथिप्पा-अन्थेरवेदिपट्टनम, गुजरात स्थित भाडेली-जगला तथा अंबरगांव में मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें प्रगति के विभिन्न चरण के अंतर्गत है। संस्थान ने उड़ीसा स्थित चांदीपुर तथा गोवा स्थित वास्को खाड़ी में मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए टी ई एफ आर को अंतिम रूप दे दिया है। संस्थान ने छोटे मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए पश्चिम बंगाल स्थित पेटुघाट स्थल का संयुक्त सर्वेक्षण किया है। संस्थान ने उड़ीसा राज्य में जारी मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के प्रगति को मॉनीटर किया।

5.11 सुनामी राहत पैकेज

5.11.1 तटीय राज्यों तमिलनाडु ,केरल, आन्ध्र प्रदेश तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह पर 26 दिसम्बर, 2004 को आए सुनामी का विनाशकारी प्रभाव डाला है। चूंकि व्यवसायिक आवश्यकता के कारण मछुआरा समुदाय तटीय इलाकों में ही बसते हैं अतः उन्हें सुनामी का सबसे ज्यादा कहर झेलना पड़ा है।

5.11.2 10749 से अधिक लोगों ने तूफानी लहरों में अपनी जान गवाईं और उनमें से अधिकांश मछुआरे थे। इसके अलावा, उन्होंने अपनी नौकाओं, जाल आदि के रूप में जीविका के अपने साधन और संपत्तियां भी गंवाईं। 42437 से अधिक पारंपरिक यान तथा 6584 इंजन और यांत्रिकृत नौकाएं लापता हो गई अथवा पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके अलावा, 15607 पारंपरिक यान तथा 3357 इंजन तथा यांत्रिकृत नौकाएं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई। मात्स्यिकी जालों को हुई कुल हानि अथवा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जालों की कीमत 2.25 लाख से अधिक है। यह देखा गया है कि मात्स्यिकी समुदाय के पास अतिरिक्त आय सृजन के लिए पशुधन मुख्यतः सूअर और बकरियां तथा कुक्कुट होते हैं। सुनामी के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पशुधन और कुक्कुट की अधिकांश हानि हुई है। तूफानी लहरों में लापता हुए 32943 पशुधन में से 27377 मुख्यतः अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सूअर और बकरियां थी।

5.11.3 सरकार ने पारंपरिक यानों तथा गियर को बदलने के लिए 100% सहायता उपलब्ध कराने के लिए मछुआरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। 1.5 लाख रुपए प्रति यूनिट अथवा उससे ऊपर की लागत वाली मोटरीकृत और यांत्रिकृत नौकाओं क मामले में मछुआरा समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुदान सहायता तथा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दिशा में नाबार्ड ने सभी बैंकों को यह दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे मछुआरों सहित प्रभावित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए डेढ़ वर्ष की मारेटोरिएम अवधि, 7 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि तथा पहले के ऋण के पुनर्भुगतान तथा अन्य शर्त न लगा करके ऋण के शीघ्र भुगतान पर 2% अनुदान सहायता के साथ प्रतिवर्ष 7% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएं। पशुधन तथा अन्य हानि के मामले में प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा राहत कोष मानकों के अनुसार केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अध्याय - 6

व्यापारिक मामले

6.1 प्रस्तावना

6.1.1 विभिन्न पशुधन उत्पादों पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के बाद विभाग ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया है जिससे आयात प्रक्रिया के लिए सभी पशुधन उत्पाद इसके कार्यक्षेत्र में लाए जा सकें। तदनुसार, पशुधन उत्पादों के लिए दिनांक 7 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 655 (स्थापना), मात्स्यिकी उत्पादों के लिए दिनांक 16 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 769(स्थापना) और जी पी स्टाक के लिए दिनांक 27 नवम्बर, 2001 की संख्या 1175 (स्थापना) जारी की गई जिसमें सभी पशुधन उत्पादों के आयात के लिए सफाई आयात परमिट अनिवार्य बना दिया गया। निर्यात कर रहे देश में रोगों की स्थिति के बनाम देश में रोग की स्थिति के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने के बाद ही सफाई आयात परमिट जारी किया जाता है।

6.2 आयात की प्रक्रियाः-

6.2.1 यह यूनिट विभिन्न राज्य सरकारों/फार्मों/संगठनों से प्राप्त पशुधन तथा टीकों, औषधियों और बायोलाजिकल्स सहित पशुधन से संबंधित वस्तुओं के आयात/निर्यात/उत्पादन/विपणन के प्रस्तावों पर भी कार्रवाई कर रहा है। इन प्रस्तावों पर विभाग के विचार अपेक्षित आयात लाइसेंस जारी करने के लिए डीजीएफटी/डीसीआई को भेजे जाते हैं। डीजीएफटी द्वारा दिसम्बर, 2004 तक 71 "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी किए गए हैं।

6.2.2 पशुधन आयात के लिए आवेदन पत्र के फार्म विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध है। ओ आई ई के वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने वाले विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच तथा विश्लेषण किया जाता है। आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने अथवा एस आई पी जारी करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों की जोखिम विश्लेषण समिति द्वारा जांच की जाती है। पीड़ित आवेदक जोखिम विश्लेषण समिति के निर्णय की समीक्षा करा सकते है। दिसम्बर, 2004 तक मात्स्यिकी उत्पादों सहित विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात के लिए 1268 सफाई आयात परमिट जारी किए गए हैं।

अध्याय 7

विशेष घटक योजना/जनजातीय उपयोजना

7.1 विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे क्रियाकलापों/योजनाओं की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना के लिए पृथक निधियों का आबंटन संभव नहीं है। विभाग प्रत्यक्ष रूप से किसी लाभोन्मुखी कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं कर रहा है जहां इस क्षेत्र के लिए अलग से आबंटन किया जाना होता है। तथापि, जहां कहीं भी संभव है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को अधिकतम कवरेज प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए हैं। केन्द्रीय मिनीकिट वितरण कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों से संबंधित 25 प्रतिशत खेतों में चारा बीज मिनीकिटों के वितरण तथा चारा प्रदर्शन आयोजित करने का प्रावधान है। मुंहपका तथा खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पशुओं को टीका लगाने के लिए केन्द्रीय अनुदान के 20 प्रतिशत का उपयोग करने का प्रावधान है। इसी तरह, ताजा जल जलकृषि का विकास संबंधी योजना के तहत, नए मत्स्य तालाबों के निर्माण, पोखरों के पुनरुद्धार/नवीकरण, प्रथम वर्षीय आदानों, एकीकृत मत्स्य पालन आदि जैसे विभिन्न क्रियाकलापों के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बढ़ी हुई राजसहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

7.2 तथापि, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्य की योजनाओं को तैयार करते समय उक्त क्रियाकलापों के लिए निधियों का अलग से आवंटन करें।

अध्याय-8

महिलाओं का सशक्तिकरण

8.1 पशुपालन एवं डेयरी में महिलाएं

- पशुपालन क्षेत्र में 71 प्रतिशत महिलाएं हैं। डेयरी क्षेत्र में, 15 मिलियन पुरूषों की तुलना में 75 मिलियन महिलाएं जुड़ी हुई है। समुद्री क्षेत्र में महिलाएं पूर्व तथा पोस्ट हारवेस्ट आपरेशन में कार्यरत है।
- भारत में दूध, मीट, अंडा तथा मछली जैसे गैर खाद्य अनाज वस्तुओं के पक्ष में खाद्य उपभोग वस्तुओं में विविधता है।

8.1.1 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभाग में कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, दिशा निर्देश के रूप में हमेशा समाज के कमजोर वर्गों को लाभ देने पर जोर देता रहा है।

8.1.2 पशुपालन क्षेत्र में, यह महसूस किया गया है कि कुछ कार्यकलापों में पुरूष तथा महिलाएं साथ-साथ काम करते हैं विशेष रूप से पशुओं को चारा देने, पशुओं से दूध निकालने इत्यादि का काम जो अधिकतर महिलाओं द्वारा किए जाते है, इसके साथ-साथ इन्हीं पशुओं का इस्तेमाल परिवहन के लिए करने उन्हें चराने अथवा जोतने के लिए ले जाना जैसी कुछ गतिविधियां ऐसी है जो पुरूषों द्वारा ही की जाती है। अतः पशुपालन के क्षेत्र में पुरूष तथा महिलाओं की भूमिका एक दूसरे की पूरक है और इनकी भूमिका को विनिर्दिष्ट रूप से श्रेणीबद्ध कर अलग-अलग करना संभव नहीं है। पशुपालन सामान्य रूप से एक कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों से महिलाओं की आय क्षमता में वृद्धि के जरिए अत्यधिक रोजगार सृजन होता है जिससे अंततः विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ती है।

8.1.3 महिलाएं डेयरी सहकारिता आंदोलन में अग्रणी रही है जिसे प्रारंभ में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम तथा बाद में सरकार द्वारा क्रियान्वित समेकित डेयरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से चलाया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड देश भर में 50 जिला संघों में महिला डेयरी सहकारिता नेतृत्व कार्यक्रम चला रहा है। इससे डेयरी सहकारिताओं में महिला डेयरी किसानों की भागीदारी बढ़ी है। 2002 तक, 8742 सदस्यता वाली 114 महिला डेयरी सहकारिताएं आयोजित की गई थी।

8.1.4 कुक्कुट क्षेत्र में, विशेष रूप से ग्रामीण कुक्कुट संवर्धन से संबंधित योजना में, इस बात पर जोर दिया गया है कि चूंकि ग्रामीण कुक्कुट एक आय प्रतिपूरक योजना है, और इसे अधिकाशतः महिलाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, अतः महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण पर बल प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, महिलाओं के लिए अलग से कोई योजना नहीं है।

8.1.5 इसी प्रकार, नस्लों के संरक्षण की योजना में, भेड़, बकरी तथा जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के संरक्षण की योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों की ओर निर्देशित है जिनमें महिलाओं की ऐसी योजनाओं को शुरू कर सकती है।

8.2 मात्स्यिकी के क्षेत्र में महिलाएं

8.2.1 मात्स्यिकी के विकास में महिलाओं का योगदान और मात्स्यिकी के विभिन्न उप क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में उनके द्वारा अदा की जा रही सक्रिय भूमिका एक सुविदित तथ्य है। समुद्री मात्स्यिकी में, महिलाएं समुद्री मात्स्यिकी कार्यकलापों में भाग नहीं लेती है । तथापि, तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली मछुआरिनों का एक ठोस वर्ग जीवन यापन के साधन के रूप में पारंपरिक गियर और तकनीकों का प्रयोग करते हुए मत्स्य बीज एकत्र करने , छोटी मछली पकड़ना, मुसेल, एडीवल आएस्टर, समुद्री अपतृण इत्यादि एकत्र करने के कार्य में लगी हुई हैं। मात्स्यिकी से संबंधित इन कार्यकलापों को इन महिलाओं द्वारा अपने परिवार को आर्थिक सहायता देने क लिए अपनाया जाता है न कि मात्स्यिकी उद्योग से लाभ उठाने के लिए पूर्णकालीन या अल्पावधि व्यवसाय या व्यापार के लिए किया जाता है।

8.2.2 मत्स्य विपणन मत्स्य प्रसंस्करण तथा उत्पाद विकास पोस्ट हार्वेस्ट कार्यकलापों के ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। मात्स्यिकी क्षेत्र में उनकी भागीदारी तथा योगदान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, माइक्रो वित्त, उनको ग्रुप में संगठित करना और क्षमता निर्माण कुछ बलित क्षेत्र है।

8.2.3 मात्स्यिकी क्षेत्र में मौजूदा विभागीय योजनाओं में संशोधन किया जा रहा है। जब भी संभव होगा, योजना के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में महिला एस एच जी/ सहकारिताओं/स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा।

8.3 विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाएं तथा कार्यक्रम, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, महिलाओं के लिए भी लाभकारी रहे हैं, पर इससे संबंधित कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इत्यादि जैसे लाभार्थियों की श्रेणीवार जानकारी एकत्र करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

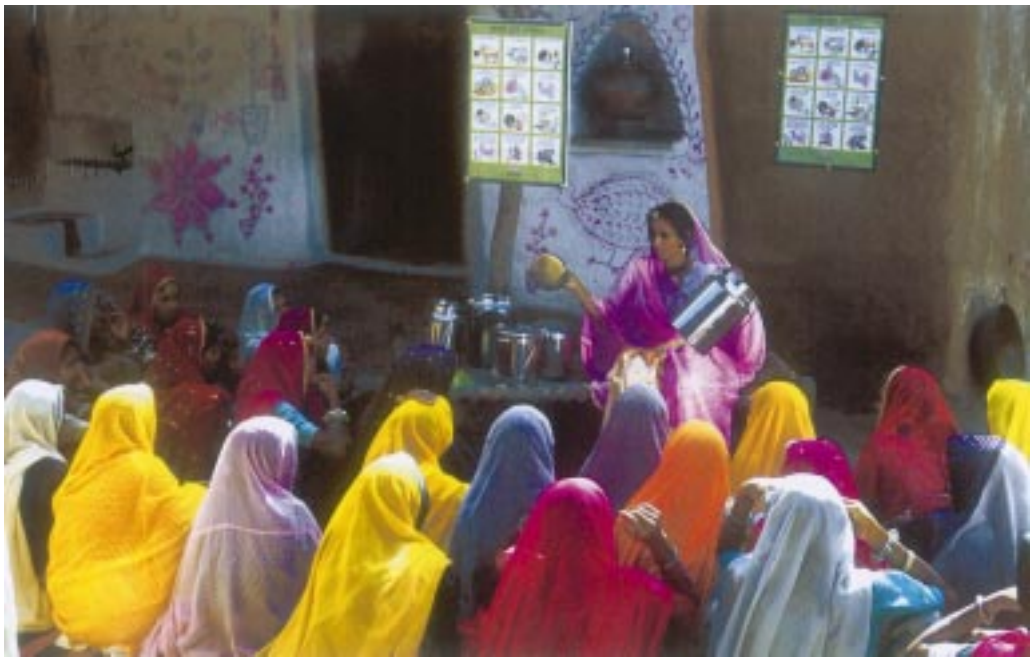

अध्याय - 9

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राज्यों के साथ परस्पर सम्पर्क

9.1 अन्य देशों के साथ समझौते

9.1.1 वर्ष 2004-05 के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मंगोलिया सरकार के साथ पशु स्वास्थ्य तथा डेयरी के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

9.2 विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

9.2.1 भारत में पशुपालन परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाली विदेशी एजेंसियां मुख्यतः डेनमार्क(डानिडा), स्विटजरलैंड(एस डी सी) और फ्रांस सरकार हैं।

9.2.2 डेनमार्क सरकार से सहायता प्राप्त परियोजनाएं इस प्रकार हैं:-

(i) बस्तर, छत्तीसगढ़ में समेकित पशुधन विकास परियोजना।

(ii) कोरापुट, उड़ीसा में समेकित पशुधन विकास परियोजना।

9.2.3 स्विटजरलैंड सरकार से सहायता प्राप्त परियोजनाएं इस प्रकार हैं:-

(i) आंध्र प्रदेश में पशु प्रजनन और चारा विकास।

(ii) सिक्किम में पशुपालन और डेयरी विकास।

9.2.4 गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में इस समय ताजा जल प्रॉन मात्स्यिकी की स्थापना संबंधी दो परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये परियोजनाएं फ्रांस सरकार की सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं।

9.3 अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता

9.3.1 यह विभाग पशु स्वास्थ्य और मात्स्यिकी संबंधी निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नियमित सदस्य भी है (विभाग वार्षिक सदस्यता अंशदान दे रहा है)।

क) ऑफिस इंटरनेशनल देस एपिजूडिस(ओ0आई0ई0), पेरिस, फ्रांस।

ख) इंडियन ओशियन ट्यूना कमीशन (आई0ओ0टी0सी0), सेशल्स - एफ0ए0ओ0 के तहत एक संगठन।

ग) एनिमल प्रोडक्शन एंड हैल्थ कमीशन फार द एशिया एंड द पैसिफिक (ए0पी0एच0सी0ए0), बैंकाक - एफ ए ओ के तहत एक संगठन।

घ) बंगाल की खाड़ी परियोजना/मात्स्यिकी के संबंध में अंतर सरकारी संगठन (आईजीओ) - एफएओ के तहत एक संगठन।

9.3.2 भारत आफिस इंटरनेशनल देस एपिजूडिस (ओ आई ई) का एक स्थायी सदस्य है जो पशु स्वास्थ्य मानक स्थापित करने के लिए उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2002 तक एक चौथी श्रेणी के सदस्य देश के रूप में भारत अब तक ओ आई ई को वार्षिक शुल्क/ सदस्यता शुल्क देता रहा है। तथापि, ओ आई ई ने भारत के स्तर में वृद्धि करते हुए इसे चौथी श्रेणी से तीसरी श्रेणी में कर दिया है।